राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा

प्रबन्ध मण्डल बैठक
कार्यवाही विवरण

बैठक संख्या	(26वीं) छब्बीसवीं
स्थान	कुलपति कक्ष, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा
दिनांक	25.06.2016 (शनिवार)
समय	प्रातः 11.00 बजे

Minutes of 26 BoM Meeting held on 25-6-2016 at 11.00 a.m. in the first floor of VC Secreteriat. Following members were present-

1- Prof. N.P. Kaushik	-	Chairman
2- Sh. Raghuveer Singh Meena (IAS)	-	Member
3- Prof. Rajeev Gupta	-	Member
4- Prof. Anil K. Mathur	-	Member
5- Prof. O.P. Chhangani	-	Member
6- Prof. Dhirendra Mathur	-	Member
7- Prof. Mithilesh kumar	-	Member
8- Sh. Sant Kumar Choudhary	-	Member
9- Sh. C.D. Prasad	-	Member
10- Dr. Vikas Bansal	-	Member
11- Sh. J.K. Purohit	-	Member Secretary
12- Sh. S.N. Sharma	-	Special Invitee
13- Prof. S.C. Jain	-	Special Invitee
14- Prof. A.K. Dwivedi	-	Special Invitee

Following members couldn't attend the meeting-

1- Sh.M.M.Satiya
2- Sh.Bhawani Singh Rajawat
3- Sh. Prahlad Gunjal
4- Sh.S.K.Singh
5- Prof.G.S.Dangayach
6- Dr.G.D.Agrawal
7- Prof.Rakesh Mohan Joshi

After garlanding the Goddess Saraswati and lighting the lamp, meeting was started.

26वीं प्रबन्ध मण्डल दिनांक 25 जून 2016 को प्रातः 11.00 बजे कुलपति सचिवालय स्थित प्रथम तल के सभागार में आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण । बैठक में निम्नांकित सदस्य उपस्थित थे–

1. प्रो.एन.पी.कौशिक
2. श्री रघुवीर सिंह मीना,आई.ए.एस.
3. प्रो.राजीव गुप्ता
4. प्रो.अनिल माथुर
5. प्रो. ओ.पी.छंगाणी
6. प्रो.धीरेन्द्र माथुर
7. प्रो. मिथिलेश कुमार

8. श्री संत कुमार चौधरी
9. श्री विकास बंसल
10. श्री सी.डी.प्रसाद
11. श्री जे.के.पुरोहित सदस्य सचिव
12. श्री एस.एन.शर्मा, विशेष आमंत्रित सदस्य
13. प्रो.एस.सी.जैन, विशेष आमंत्रित सदस्य
14. प्रो. ए.के.द्विवेदी, विशेष आमंत्रित सदस्य

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित नहीं हो सके–

1. श्री एम.एम.सेतिया
2. श्री भवानी सिंह राजावत
3. श्री प्रहलाद गुंजल
4. श्री एस.के.सिंह
5. प्रो.जी.एस.डंगायच
6. डा.जी.डी.अग्रवाल
7. प्रो.राकेश मोहन जोशी

देवी सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्जवलित कर बैठक को विधिवत रूप से प्रारम्भ किया गया

BoM 26.1 **To welcome new members of BoM and appreciate contribution made by out-going members.**

To welcome new Chairman of the BoM Prof. N.P. Kaushik and as a member Sh. Rajhans Upadhyay, ACS (TE), Sh. C.D. Prasad, Dr. Vikas Bansal, Sh. Sant Kumar Chaudhary, Sh. Mithilesh Kumar and Sh. J.K. Purohit.

To appreciate the contributions made by Prof. Vinay Pathak as Chairman and Sh. Pawan Kumar Goyal, Prof. Sanjeev Mishra, Prof. N.P. Kaushik, Dr. Asha Singh and Sh. R.P Tripathi as members.

The list of current Honourable Members is enclosed for perusal of members (Annexure-26.1 Page No. 1-2).

Resolution 26.1 **The Board welcome the new Chairman Prof.N.P.Kaushik, Shri Rajhans Upadhyah, Sh. C.D.Prasad, Dr. Vikas Bansal, Sh. Sant Kumar Chaudhary Sh. Mithilesh Kumar members and Shri Jagdish Kumar Purohit Member Secretary.**

Board also appreciated the guidance rendered by the outgoing Chairman Prof. Vinay Kumar Pathak, and members Sh. Pawan Kumar Goyal, Prof. Sanjeev Mishra, Prof.N.P.Kaushik, Dr. Asha Singh and Shri R.P.Tripathi.

प्रम 26.1 **प्रबंध मण्डल के नये सदस्यों का स्वागत एवं निवर्तमान सदस्यों के योगदान की सराहना। (अनुलग्नक 26.1 पृष्ठ संख्या 1–2)**

प्रबंध मण्डल के सदस्यों द्वारा नये अध्यक्ष प्रो. एन.पी. कौशिक एवं सदस्य श्री राजहंस उपाध्याय (अतिरिक्त मुख्य सचिव, त. शि.), श्री सी.डी. प्रसाद, डा. विकास बंसल, श्री संत कुमार चौधरी, श्री मिथलेश कुमार एवं श्री जे.के. पुरोहित का स्वागत करना। निवर्तमान अध्यक्ष प्रो. विनय पाठक, सदस्य श्री पवन कुमार गोयल, प्रो. संजीव मिश्रा, प्रो. एन.पी.कौशिक डा. आशा सिंह एवं श्री आर.पी. त्रिपाठी द्वारा प्रबंध मण्डल को दिये गये अमूल्य सहयोग के लिए सराहना ज्ञापित करना।

प्रबंध मण्डल के वर्तमान सदस्यों की सूची अनुलग्नक 26.1. पृष्ठ 1–2 अवलोकन हेतु।

संकल्प 26.1 **प्रबंध मण्डल के सदस्यों द्वारा नये अध्यक्ष प्रो. एन.पी. कौशिक एवं सदस्य श्री राजहंस उपाध्याय (अतिरिक्त मुख्य सचिव, त. शि.), श्री सी.डी. प्रसाद, डा. विकास बंसल, श्री संत कुमार चौधरी, श्री मिथलेश कुमार एवं श्री जे.के. पुरोहित का स्वागत किया गया एवं निवर्तमान अध्यक्ष प्रो. विनय पाठक, सदस्य श्री पवन कुमार गोयल, प्रो. संजीव**

मिश्रा, प्रो. एन.पी.कौशिक डा. आशा सिंह एवं श्री आर.पी. त्रिपाठी द्वारा प्रबंध मण्डल को दिये गये अमूल्य सहयोग के लिए सराहना एवं धन्यवाद ज्ञापित किया गया ।

BoM 26.2 **To consider and approve the minutes of 24th meeting of BOM held on 13.07.2015 (Annexure-26.2.1 page No. 3-31) and 25th meeting of BoM held on 19.03.2016 (Annexure 26.2.2 from page 32-38)**

The 24th meeting of Board of Management was held on 13.07.2015 (Annexure-26.2.1 from page 3-31) and 25th meeting of BoM held on 19.03.2016 (Annexure 26.2.2 page No. 32-38) were circulated amongst members.

Hon'ble Members are requested to kindly approve the same.

Resolution 26.2 **Minutes were approved.**

प्रम 26.2 **दिनांक 13.07.2015 को हुई प्रबंध मण्डल की 24वीं (अनुलग्नक 26.2.1 पृष्ठ संख्या 3–31) एवं दिनांक 19.03.2016 को हुई 25वीं बैठक के कार्यवाही विवरण पारित करना। (अनुलग्नक 26.2.2 पृष्ठ संख्या 32–38 तक)**

दिनांक 13.07.2015 को हुई प्रबंध मण्डल की 24वीं (अनुलग्नक 26.2.1 पृष्ठ संख्या 3–31) एवं दिनांक 19.03.2016 को हुई 25वीं बैठक के कार्यवाही विवरण (अनुलग्नक 26.2.2 पृष्ठ संख्या 32–38) माननीय सदस्यों को प्रेषित किये गये थे।

उक्त कार्यवाही विवरण माननीय सदस्यों के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

संकल्प 26.2 **कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया ।**

BoM 26.3 **To consider and approve action taken report on the approved minutes of 24th meeting of BOM held on 13.07.2015.**

A consolidated report on the action taken on resolutions adopted by the Board of Management in its 24th meeting is submitted for perusal and approval as under. (Annexure 26.3.1.1-20 page 39-60)

प्रम. 26.3 दिनांक 13.07.2015 को हुई प्रबंध मण्डल की 24वीं बैठक का कार्यपालना प्रतिवेदन अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। (अनुलग्नक 26.3.1.1–20 पृष्ठ संख्या 39–60)

Action Taken Report of 24th Board of Management

Item No.	Particulars	Action to be taken by concerned
BoM 24.1	To welcome new members of BoM and appreciate contribution made by out-going members.	No Action Required
प्र.म. 24.1	प्रबंध मण्डल के नये सदस्यों का स्वागत एवं निवर्तमान सदस्यों के योगदान की सराहना।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं

BoM 24.2	To consider the minutes of 23rd meeting of BOM held on 14.03.2015	Seen & Approved
प्र.म. 24.2	दिनांक 14.03.2015 को हुई प्रबंध मण्डल की 23वीं बैठक के कार्यवाही विवरण पारित करना।	अवलोकन एवं पारित
BoM 24.3	To consider action taken report on the approved minutes of 23rd meeting of BOM held on 14.03.2015:	Seen & Approved
प्र.म.24.3	दिनांक 14.03.2015 को हुई प्रबंध मण्डल की 23वीं बैठक के कार्यवाही विवरण की कार्य पालना प्रतिवेदन	अवलोकन एवं पारित
BoM 24.4	To consider the Minutes of the 19th Special Academic Council held on 29.04.2015 and 20th Special Academic Council held on 4.06.2015	Seen & Approved
प्र.म.24.4	क्रमशः दिनांक 29.4.2015 को 19वीं एवं 4.6.2015 को 20वीं आयोजित विशेष अकादमिक परिषद की बैठकों के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन बाबत	अवलोकन एवं पारित
BoM 24.5	To approve the minutes of 13th meeting of Finance Committee held on 31.03.2015 and minutes of 14th meeting of Finance Committee held on 29.05.2015	No Action Required
प्र.म.24.5	दिनांक 31.3.2015 को 13वीं एवं 29.5.2015 को 14वीं वित्त समिति की बैठकों के कार्यवाही विवरण अनुमोदनार्थ ।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं
BoM 24.6	Nomination of a person by Board of Management as member of selection committee for appointment of Vice Chancellor. कुलपति चयन समिति में प्रबंध मण्डल द्वारा सदस्य मनोनीत करने के संबंध में।	Letter sent to HE vide No. 5971-72 dated 13.07.2015 **(Annexure No. 26.3.1.1 Page No. 39)**
BoM 24.7	To consider the recommendations of the selection committees for the promotion of Asstt. Prof., Asso. Prof. and Professors in various departments of RTU under CAS. राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालयों के विभिन्न विभागों में केरियर एडवान्समेंट स्कीम के अन्तर्गत सहायक प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रोफेसर के पदों पर पदोन्नति के संबंध में चयन समिति की अनुशंसाऐं अनुमोदनार्थ ।	Orders issued vide no. 6111-6125, 6094-6110, 6082-6093, 6063-6081, 6051-6062, 6034-6050, 6020-6033, 5998-6019 dated 13.07.2015 **(Annexure No. 26.3.1.2-9 Page No. 40-47)**
BoM 24.8	To consider the proposed Statutes of Rajasthan Technical University राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के प्रस्तावित परिनियम माननीय सदस्यों के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	Statutes sent to HE vide letter no. 8006 dated 12.08.2015 **(Annexure No. 26.3.1.10 Page No. 48)**
BoM 24.9	To peruse and direction on the matter of appointment of Professor in Computer Science & Engineering Department vide resolution of BoM 20.27 प्रबंध मण्डल की 20वीं बैठक के बिन्दु संख्या 20.27 पर कम्प्युटर साईंस विभाग में प्रोफेसर पद पर नियुक्ति प्रकरण के अवलोकन एवं निर्देशन हेतु।	Letter sent to AICTE vide No.9367 Dated 16.09.2015 **(Annexure No. 26.3.1.11 Page No. 49)**
BoM 24.10	To peruse and direction on the matter of appointment	Letter sent to AICTE vide No. 9368 Dated 16.09.2015

	of Asstt. Professor in Electronics Instrumentation & Control Department vide resolution of BoM 20.27 प्रबंध मण्डल की 20वीं बैठक के बिन्दु संख्या 20.27 पर इलेक्ट्रोनिक्स इंस्ट्रूमेंन्टेशन एण्ड कन्ट्रोल विभाग में सहायक प्रोफेसर पद पर नियुक्ति प्रकरण अवलोकन एवं निर्देशन हेतु।	**(Annexure No. 26.3.1.12 Page No. 50)**
BoM 24.11	Recommendation of of Committee constituted vide BoM agenda Item no. 20.11 (held on 23.9.2014) for allowing notional increments to the teachers who served other institutions after taking extra ordinary leave from the University. दिनांक 23.9.2014 को आयोजित प्रबन्ध मण्डल की 20वीं बैठक के बिन्दु संख्या 20.11 पर शिक्षकों के द्वारा अन्यत्र संस्थानो में विश्वविद्यालय से असाधारण अवकाश लेकर जाने पर उक्त अवधि के काल्पनिक वेतन वृद्धि हेतु गठित समिति की अनुशंसा बाबत्।	Order issued vide no **8043-66** dated 12.08.2015 **(Annexure No. 26.3.1.13 Page No. 51)**
BoM 24.12	To Consider the Performa for Annual Performance Appraisal Report (APAR) for the University Faculty. विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन का प्रारूप अनुमोदन हेतु (परिशिष्ट संख्या 24.12 पृष्ठ संख्या 207 से 215 पर) माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।	Order issued vide no 1821-31 dated 29.02.2016 **(Annexure No. 26.3.1.14 Page No. 52)**
BoM 24.13	To consider the selection criteria for open selections of Asstt. Prof., Asso. Prof. and Professors of University Departments of RTU. विश्वविद्यालय के विभागों के लिए सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रोफेसर्स की सीधी भर्ती के लिए मानक/कसौटी पर विचार करना।	Agenda Item submitted again in 26 BoM Meeting
BoM 24.14	To consider the digital evaluation (through scanning) of answer books from exams of academic session 2015-16. सत्र 2015–16 से आयोजित की जाने वाली विश्वविद्यालय की परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं को स्केन कर उनकी जांच डिजीटल मूल्यांकन प्रक्रिया के करवाये जाने के संबंध में।	Directions has been given to COE in this regard. परीक्षा नियंत्रक को इस हेतु निर्देशित किया जा चुका है।
BoM 24.1 (R)	To peruse the office orders approved by Hon'ble Vice Chancellor under section of 12 (6) of RTU Act 2006 for smooth functioning of the University. राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 12(6) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय का कार्य सुचारू रूप से सम्पन्न करने हेतु प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जारी किये	No action needed कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं।

	गये आदेशों के अवलोकनार्थ।	
BoM 24.2 (R)	To peruse the pension order issued in the light of BoM resolution no 20.16 प्रबन्ध मण्डल के संकल्प 20.16 में लिए गए निर्णयानुरूप पेंशन का आदेश अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।	Letter has been sent to Govt. vide no. 4413 dated 4-06-2016. **(Annexure No. 26.3.1.15 Page No. 53)**
BoM 24.1.T	Several Legal cases are pending and regularly new legal cases being filed before the different legal courts. Maximum legal cases are pending and being filed before Hon'ble High Court, Jaipur bench and Hon'ble Courts of Kota. Therefore it will be beneficial for the University to appoint a Standing Council at Jaipur and at Kota on similarly grounds as that of being appointed by the other Universities, for timely disposal and proper action in the legal cases. विश्वविद्यालय में राज्य के विभिन्न न्यायालयों में विधिक प्रकरण लंबित है तथा समय समय पर विधिक प्रकरण भी दर्ज होते रहते हैं। इन विधिक प्रकरणों में अधिकतर प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर एवं माननीय न्यायालय, कोटा में लंबित है एवं दर्ज भी होते है। अतः उक्त न्यायालयों में लंबित विधिक प्रकरणों के त्वरित निस्तारण एवं निष्पादन तथा नए प्रकरणों के संबंध में समय पर विधिक कार्यवाही एवं प्रभावी नियंत्रण हेतु अन्य विश्वविद्यालयों की तरह जयपुर एवं कोटा में विश्वविद्यालय की तरफ से एक–एक स्टेंडिंग कॉउसिल की नियुक्ति करना उचित होगा।	Agenda Item submitted again in 26 BoM Meeting प्रस्ताव 26वी प्रबंध मण्डल की बैठक में पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है।
BoM T 24.2	Duties of the Legal Advisor, Standing Council, Advocate and Officer-in charge in the legal matters of the University. विश्वविद्यालय के विधि सलाहकार, स्टेंडिंग कॉउंसिल, अधिवक्ता तथा प्रभारी अधिकारी विधिक प्रकरण के कर्तव्य	Agenda Item submitted again in 26 BoM Meeting. प्रस्ताव 26वी प्रबंध मण्डल की बैठक में पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है।
BoM T24.3	An enquiry constituted against Dr. Rajesh Kumar Lidiya, Associate Professor (English), Deptt. of English and Applied Sciences under 16 CCA of Rajasthan Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules,1958. डा. राजेश लीडिया, एसोसिएट प्रोफेसर (अंग्रेजी), अंग्रेजी एवं एप्लाईड सांइस विभाग के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के तहत 16 सीसीए जांच	Order issued vide no. 15530-38 dated 12.02.2016 **(Annexure No. 26.3.1.16 Page No. 54)**
BOM T 24.4	An enquiry constituted against Shri Anant Ballal, Associate Professor, Mechanical Engineering, Rajasthan Technical University, Kota under Rajasthan Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules,1958. श्री अनन्त बलाल, एसोसिएट प्रोफेसर के विरूद्ध राजस्थान	Order issued vide no. 7995-8002 dated 12.08.2015 and 8369-76 dated 28.09.2015 **(Annexure No. 26.3.1.17 Page No.55-56)**

	सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के तहत जांच	
BOM T 24.5	To take prior approval for starting consultancy/ coaching/ website etc.by the faculty/ Family members of RTU. विश्वविद्यालय मे कार्यरत शिक्षकों/परिवार के सदस्यों द्वारा कॉचिंग अथवा कॉचिंग/व्यक्तिगत कंसलटेंली/वेबसाईट संचालन से पूर्व विश्वविद्यालय की अनुमति प्राप्त करने बाबत।	Circular issued vide **no. 6634-40** dated 25.07.2015 **and a** reminder vide no. **9203-08** dated 10.09.2015 **(Annexure No. 26.3.1.18 Page No. 57-58)**
BOM T 24.6	To consider relaxation in purchase of Air Conditioners in persuance of Finance Department (Income & Expenditure Section) letter No. प9 (1)वित्त–1(1)आ.व्य/2010 दिनांक 30.6.2010. by the BoM वित्त विभाग (आय–व्ययक अनुभाग) द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प9 (1)वित्त–1(1)आ.व्य/2010 दिनांक 30.6.2010 के अनुसार एयर कंडीशनर क्रय हेतु संचालक मण्डल द्वारा शिथिलता प्रदान करने के संबंध में।	Agenda Item submitted **again** in 26 BoM Meeting. प्रस्ताव 26वी प्रबंध मण्डल की बैठक में पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है।
BOM T 24.7	To consider the matter of Lab Attendant/Medical Attendant promotion as per resolution of BoM. प्रयोगशाला अनुचर /मेडिकल अटेण्डेण्ट की पदोन्नतियों का प्रकरण प्रबंध मण्डल के समक्ष विचारार्थ ।	दिनांक 7.5.2016 को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक हुई जिसका निर्णय निम्नानुसार है: 8 प्रतिशत पदोन्नति लेबोरेट्री अटेण्डेण्ट /मेडिकल अटेण्डेण्ट पद से क्लर्क ग्रेड II पद पर प्रबंध मण्डल की छठी बैठक के संकल्प 6. 8 एवं प्रबंध मण्डल की 24वीं बैठक के संकल्प टी. 24.7 की अनुपालना में समिति ने राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के नियम एवं राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक संवर्ग नियम, 1999 के नियमों के अन्तर्गत परीक्षण करते हुए पाया कि उक्त प्रावधान दोनों ही नियमों में उपलब्ध नहीं है। अतः समिति द्वारा पदोन्नति हेतु कोई अनुशंसा नहीं की गई। माननीय कुलपति महोदय द्वारा उक्त अनुशंसा का अनुमोदन किया गया। (अनुलग्नक 26.3.1.19 पृष्ठ संख्या 59)
BOM AOI	On the behalf of Sri Prahlad Gunjal, the family of late Abhiraj Singh, Student of 1st year should be given Rs. 3.00 Lacs from University fund. श्री प्रहलाद गुंजल की ओर से स्व0 श्री अभिराज सिंह, छात्र प्रथम वर्ष के परिजनों को विश्वविद्यालय फण्ड से राशि रूपये 3.00 लाख रूपये देने की सिफारिश की गई।	Order issued vide no. 9246-52 dated 11.09.2015 **(Annexure No. 26.3.1.20 Page No. 60)**

Resolution 26.3 (i) **Letter received in reference to agenda item No.BoM 24.7 from Jt. Secretary Technical Education and in reference to agenda item No.24.7, 24.9, 24.2(R) 26.9 and 26.17 letter received from Sh. Prahlad Gunjal, Hon'ble MLA were put up for perusal of members in the meeting.**

(ii) **In reference to BoM 24.5 it was resolved that undertaking shall be taken up to 15.7.2016.**

Members perused and approved the action taken report.

संकल्प 26.3 (1) **प्रबन्ध मंडल की बैठक के बिन्दु संख्या 24.7 के सन्दर्भ में संयुक्त सचिव तकनीकी शिक्षा एवं एजेण्डा क्रमांक 24.7 24.9, 24.2 26.9 एवं 26.17के सन्दर्भ में श्री प्रहलाद गुंजल माननीय विधायक से प्राप्त पत्रों को माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ रखा गया था ।**

(2) **प्रबन्ध मण्डल के बिन्दु संख्या 24.5 के सन्दर्भ में निर्णय लिया गया कि बाकी बचे संकाय सदस्यों से दि. 15 जुलाई 2016 तक अण्डरटेकिंग प्राप्त की जावे**

माननीय सदस्यों द्वारा कार्यवाही प्रतिवेदन का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया ।

BoM 26.4 **To consider and approve action taken report on the approved minutes of 25th meeting of BoM held on 19.03.2016**

प्रम 26.4 **दिनांक 19.03.2016 को हुई प्रबंध मण्डल की 25वीं विशेष बैठक का कार्यपालना प्रतिवेदन ।**

Action Taken Report of 25th Board of Management

BoM 25.1(S)	BoM 25.1(S) To amend the Convocation ordinance No. O-8 & O-9 of Rajasthan Technical University, Kota.	Approved
प्र.म. 25.1(वि)	राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा दीक्षान्त समारोह अध्यादेश संख्या O-8 & O-9 में संशोधन	अनुमोदित
BoM 25.2(S)	To consider and pass the grace for the conferment of degrees of examination year 2015 of UG, PG and Ph.D. course.	Approved
प्र.म. 25.2(वि)	परीक्षा वर्ष 2015 के स्नातक, स्नातकोत्तर एवं पीएच.डी. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को उपाधि अनुग्रहित करने के क्रम में।	अनुमोदित

Resolution 26.4 **Members perused and approved the action taken report.**

संकल्प 26.4 माननीय सदस्यों द्वारा कार्यवाही प्रतिवेदन का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया ।

BoM 26.5 **To consider and approve the Minutes of the 21st Special Academic Council held on 19.03.2016 (Annexure-26.5.1 page No. 61-68) and 22nd Academic Council held on 30.03.2016 (Annexure-26.5.2 page 69-86)**

The Minutes of the 21st Special Academic Council held on 19.03.2016 (Annexure-26.5.1 from page 61-88) and 22nd Academic Council held on 30.03.2016 (Annexure-26.5.2 from page 69-86)

The minutes of the meeting placed before the BoM members.

Members are requested to kindly approve the same.

Resolution 26.5 **Minutes were approved. A Committee already constituted as - Prof. Anil K. Mathur Convener, Dean, Faculty Affairs and Dean Acadmic shall submit compliance of agenda item AC 20.2(s), 20.3 and subsequently placed as agenda item AC 22.14 within 15 days.**

प्रम 26.5 **दिनांक 19.03.2016 को हुई विद्या परिषद की 21वीं विशेष बैठक (अनुलग्नक 26.5.1 पृष्ठ संख्या 61–68) एवं दिनांक 30.03.2016 को हुई विद्या परिषद की 22वीं बैठक (अनुलग्नक 26.5.2 पृष्ठ संख्या 69–86) के कार्यवाही विवरण पारित करना।**

दिनांक 19.03.2016 को हुई विद्या परिषद की 21वीं विशेष बैठक (अनुलग्नक 26.5.1 पृष्ठ संख्या 61–68) एवं दिनांक 30.03.2016 को हुई विद्या परिषद की 22वीं बैठक (अनुलग्नक 26.5.2 पृष्ठ संख्या 69–86) अवलोकनार्थ संलग्न है।

उक्त कार्यवाही विवरण माननीय सदस्यों के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

संकल्प 26.5 **कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया । पूर्व में गठित समिति में कन्वीनर प्रो. अनिल के माथुर एवं सदस्य डीन फेकल्टी अफेयर्स एवं डीन अकादमिक हैं । यह समिति अकादमिक समिति की बैठक एजेण्डा न.20.2(वि)20.3 एवं तत्पश्चात् अकादमिक समिति की बैठक के बिन्दु संख्या 22.14 की अनुपालना में अपना प्रतिवेदन 15 दिन में प्रस्तुत करेगी ।**

BoM 26.6 **To consider and approve the minutes of 15th meeting of Finance Committee held on 18.03.2016.**

The 15th Finance Committee was held on 18.03.2016 and their minute is placed at (Annexure 26.6 Page No. 87-112).

Members are requested to kindly approve the same.

Resolution26.6 **Minutes were approved, however, it was suggested that in future the budget shall be put up in BoM under separate agenda item.**

प्रम 26.6 दिनांक 18.03.2016 को सम्पन्न हुई वित्त समिति की 15वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करना। (अनुलग्नक 26.6 पृष्ठ संख्या 87–112)

दिनांक 18.03.2016 को हुई वित्त समिति की 15वीं बैठक के कार्यवाही विवरण अनुलग्नक 26.6 पृष्ठ संख्या 87–112 संलग्न है।

उक्त कार्यवाही विवरण माननीय सदस्यों के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

संकल्प 26.6 **प्रबन्ध मण्डल द्वारा वित समिति की 15वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया तथापि यह निर्देश दिए गए कि भविष्य में बजट के सन्दर्भ में एक अलग से प्रस्ताव रखा जाकर प्रबन्ध मण्डल से अनुमोदन करवाया जावे ।**

BoM 26.7 **Several Legal cases are pending and regularly new legal cases being filed before the different legal courts. Maximum legal cases are pending and being filed before Hon'ble High Court, Jaipur bench and Hon'ble Courts of Kota. Therefore, it will be appropriate for the University to appoint a Standing Council at Jaipur and at Kota on similarly grounds as that of being appointed by the other Universities, for timely disposal and proper action in the legal cases.**

Members are requested to kindly approve the same.

Resolution 26.7 **Agreed in principle.**

प्रम 26.7 विश्वविद्यालय में राज्य के विभिन्न न्यायालयों में विधिक प्रकरण लंबित है तथा समय समय पर विधिक प्रकरण भी दर्ज होते रहते हैं। इन विधिक प्रकरणों में अधिकतर प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर एवं माननीय न्यायालय, कोटा में लंबित है एवं दर्ज भी होते है। अतः उक्त न्यायालयों मं लंबित विधिक प्रकरणों के त्वरित निस्तारण एवं निष्पादन तथा नए प्रकरणों के संबंध में समय पर विधिक कार्यवाही एवं प्रभावी नियंत्रण हेतु अन्य विश्वविद्यालयों की तरह जयपुर एवं कोटा में विश्वविद्यालय की तरफ से एक–एक स्टेंडिंग कॉउंसिल की नियुक्ति करना उचित होगा।

अतः प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

संकल्प 26.7 सैद्धान्तिक रूप से सहमति प्रदान की गई ।

BoM 26.8 **Duties of the Legal Advisor, Standing Council, Advocate and Officer-in charge in the legal matters of the University.**

Hon'ble Members are requested to kindly approve the same.

Resolution 26.8 **Proposal was dropped.**

प्रम 26.8 विश्वविद्यालय के विधि सलाहकार, स्टेंडिंग कॉउंसिल, अधिवक्ता तथा प्रभारी अधिकारी विधिक प्रकरण के कर्तव्य

उक्त कार्यवाही विवरण माननीय सदस्यों के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

संकल्प 26.8 प्रस्ताव को निरस्त किया गया ।

प्रम 26.9 **विष्वविद्यालय द्वारा क्रय किये गये एयर कंडीशनर्स की कार्योत्तर स्वीकृति/शिथिलता के संबंध में।**

1 वित्त विभाग (आय–व्ययक अनुभाग) के परिपत्र दिनांक 30.06.2010 से जारी मितव्ययता संबंधी निर्देशों के बिन्दु संख्या 3(1) में एयर कंडीशनर का क्रय वित्त विभाग की पूर्वानुमति से ही किये जाने के निर्देश प्रदत्त है तथापि "राजकीय उपक्रमों, कम्पनियों, बोर्ड्स एवं निकायों में रिक्त पदों पर नियुक्ति, पदो के सृजन एवं क्रमोन्नयन के प्रकरणों के अतिरिक्त अन्य मामलों में यदि अपरिहार्य कारणो से शिथिलता आवश्यक हो तो उस पर संबंधित संचालक मंडल निर्णय ले सकेगा।" (अनुलग्नक 26.9.1 पृष्ठ संख्या 113–114)

2 श्री राजन करीर, एसोसियेट प्रोफेसर तत्कालीन OIC द्वारा विभागाध्यक्षों/डीन्स की बैठक का हवाला देते हुये 95 एयरकंडीशनर क्रय करने की अभिशंषा की गई तथा वित्त नियंत्रक द्वारा उप/सहायक कुलसचिवों के लिए 15 अतिरिक्त एयर कंडीशनर क्रय करने की मांग की गई जिसे तत्कालीन कार्यवाहक कुलपति श्री विनय पाठक द्वारा अनुमोदित किया गया।

3 तत्कालीन क्रय समिति द्वारा DGS&D दर संविदाधारी फर्म मैसर्स हिताची होम एण्ड लाइफ सोल्युशन्स लिमि., गुजरात से एयर कंडीशनर्स क्रय करने का निर्णय लिया गया तथा वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30.06.2010 के अनुसरण में संचालक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की अनुशंषा की गई। जिसके क्रम में उक्त उपापन का टेबल एजेण्डा BOMT 24.06 प्रबंध मण्डल की 24वीं बैठक दिनांक 13.07.2015 में प्रस्तुत किया गया किन्तु तत्समय उक्त बैठक के कार्यवाही विवरण जारी न होने की स्थिति में माननीय कुलपति द्वारा उक्त उपापन दिनांक 13.07.2015 को राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की धारा 12(6) के अन्तर्गत अनुमोदित किया गया जिसको प्रबंध मंडल की 24वीं बैठक दिनाक 13.07.2015 के बिन्दु सख्या BOMT 24-6 पर वित्त विभाग के पूर्वोक्त परिपत्र दिनांक 30.06.2010 के परिपेक्ष्य में क्रय संबंधी शिथिलता प्राप्त करने हेतु संकल्प पारित किया गया (अनुलग्नक 26.9.2 पृष्ठ संख्या 115)

4 तदुपरान्त वित्त नियंत्रक के आदेश क्रमांक 6305–07 दिनांक 21.07.2015 से मैसर्स हिताची लि. के पक्ष में 110 एयर कंडीशनर का आपूर्ति आदेश राशि रु. 35 96 लाख जारी किया गया (अनुलग्नक 26.9.3 पृष्ठ संख्या 116)

5 तत्पश्चात् कुलसचिव के आई.ओ.एन. दिनांक 04.08.2015 से प्रबंध मण्डल की बैठक दिनांक 13.07.2015 का अंतिम कार्यवाही विवरण जारी कर बिन्दु संख्या 24.6 से पूर्वोक्त संकल्प प्रत्याहरित किया जाकर यह निर्णय लिया गया कि एजेण्डा आगे पुनः रखा जावेगा (अनुलग्नक 26.9.4 पृष्ठ संख्या 117–118)

6 उक्त आपूर्ति के समक्ष उपाप्त सामग्री/उपकरणों का निरीक्षण समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से समस्त 110 एयर कंडीशनर्स की आपूर्ति एवं प्रतिस्थापन प्रमाणित किया गया (अनुलग्नक 26.9.5 पृष्ठ संख्या 119)

7 विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा, राज्यपाल सचिवालय, जयपुर के पत्रांक 861 दिनांक 02.02.2016 से "प्रबंध मंडल की बिना स्वीकृति राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में खरीदे 110 ए.सी." के संबंध में तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गई। (अनुलग्नक 26.9.6 पृष्ठ संख्या 120)

8 फर्म मैसर्स हिताची लिमि., द्वारा आपूर्त सामग्री/उपकरणों के प्रस्तुत बिलों के भुगतान की मांग की जा रही है (अनुलग्नक 26.9.7 पृष्ठ संख्या 121)

9 प्रकरण वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण का अवलोकन एवं आवश्यक विचार विमर्श उपरांत निम्नांकित निर्देश प्रदान किये गये कि (अनुलग्नक 26.9.8 पृष्ठ संख्या 122–124)

(i) वित्त विभाग के वित्तीय मितव्ययिता परिपत्र दिनांक 30.06.2010 के अंतर्गत उपगत सामग्री का औचित्य परिवर्णित करते हुये पृथक एजेण्डा प्रबंध मण्डल के समक्ष अपेक्षित शिथिलता/कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करने हेतु निर्णयार्थ रखा जावे।

(ii) भविष्य में ऐसी घटनाओं/गतिविधियों की पुनरावृत्ति पर अंकुश हेतु विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

(iii) वित्तीय मितव्ययिता के परिपेक्ष्य में बिजली की खपत पर सम्भाव्य व्यय को दृष्टिगत रखते हुए उपाप्त उपकरणों/सामग्री का औचित्य पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कदम उठायें जावे।

अतः प्रकरण प्रबंध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं विश्वविद्यालय द्वारा क्रय किये 110 एयर कंडीशनर्स की कार्योत्तर स्वीकृति/शिथिलता हेतु निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

संकल्प 26.9 उपरोक्त प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया तथा राज्य सरकार से **अनुमति प्राप्त कर भुगतान के लिए स्वीकृति प्रदान की गई ।**

प्र.म. 26.10 विष्वविद्यालय कोष से अनुकम्पा राशि स्वीकृत करने के संबंध में।

1 संघटक महाविद्यालय के छात्र श्री अभिराज सिंह (बी.टेक प्रथम वर्ष) की दिनांक 09.07.2015 को जवाहर सागर डेम से अचानक पानी छोडने के कारण पानी में बहने एवं चट्टान से सिर टकराने से मृत्यु होने पर स्व. छात्र के पिता श्री रघुराज

सिंह द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राशि रू. 3.00 लाख अनुकम्पा राशि प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया।

2 दिनांक 13.07.2015 को सम्पन्न प्रबंध मंडल की 24वीं बैठक के कार्यवाही विवरण के पृष्ठांकन में तत्कालीन कुलपति श्री विनय पाठक द्वारा हस्तलिखित टिप्पणी की गई कि "On the behalf of Shri Prahlad Gunjal, the family of late Abhiraj Singh student of Ist year should be given Rs. 3.00 lacs from University Fund." (अनुलग्नक 26.10.1 पृष्ठ संख्या 125)

3 कुलसचिव के कार्यालय आदेश क्रमांक 9246–52 दिनांक 11.09.2015 से प्रबंध मंडल की बैठक दिनांक 13.07.2015 का हवाला देते हुए स्व. श्री अभिराज सिंह के परिजनों को विश्वविद्यालय कोष से राशि रू. 3.00 लाख दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई (अनुलग्नक 26.10..2 पृष्ठ संख्या 126–127)

4 विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजनान्तर्गत संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी विभाग, कोटा के आदेश क्रमांक 80 दिनांक 28.09.2015 से प्रकरण में दावेदार श्री रघुराज सिंह (स्व. अभिराज सिंह सोलंकी के पिता) के पक्ष में राशि रू. 1.00 लाख भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। (अनुलग्नक 26.10.3 पृष्ठ संख्या 128)

5 विश्वविद्यालय नियमों/परिनियमों में विश्वविद्यालय कोष से आलोच्य सहायता के संबंध में समुचित उपाबन्ध नहीं होने पर प्रकरण को 15वीं वित्त समिति के बिन्दु संख्या 15.9 पर विचारार्थ/निर्णयार्थ रखा गया। (अनुलग्नक 26.10.4 पृष्ठ संख्या 129–130)

6 वित्त समिति द्वारा प्रकरण में निर्देश दिये गये कि राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के परिनियमों/अध्यादेशों को विश्वविद्यालय द्वारा अंगीकृत किये जाने से तत्सबंधी सुसंगत उपाबन्धों अथवा विश्वविद्यालय के स्टाफ वेलफेयर फण्ड में विहित प्रावधानों के परिपेक्ष्य में वांछित प्रस्ताव तैयार कर प्रबंध मण्डल के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ रखा जावे।

7 राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के परिनियमों/अध्यादेशों में विश्वविद्यालय स्तर पर कराये गये छात्रों के बीमा पॉलिसी के अतिरिक्त कोई प्रावधान होना नही पाया जाता है।

8 विश्वविद्यालय के स्टाफ वेलफेयर फण्ड के अन्तर्गत विभिन्न अनुदान/सहायता के संबंध में वित्त समिति की 11वीं बैठक के टेबल एजेण्डा सं. 11.2 के बिन्दु संख्या 5 पर यह संकल्प पारित है कि "स्टाफ वेलफेयर फण्ड नियमों के अन्तर्गत कवर न होने वाले प्रकरणों में माननीय कुलपति राशि रू. 1.00 लाख एक अवसर पर एवं वित्तीय वर्ष में राशि रू. 5.00 लाख की सीमा में अनुदान/विशेष सहायता स्वीकृत कर सकेंगे।" (अनुलग्नक 26.10.5 पृष्ठ संख्या 131–132) वित्तीय वर्ष

2015–16 में आलोच्य प्रकरणों के अन्तर्गत कोई अनुदान राशि स्वीकृत नहीं की गई है।

अतः प्रकरण मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

संकल्प 26.10 **सदस्यों का अभिमत था कि "आन बिहाफ आफ" प्रहलाद गुंजल नहीं होना चाहिए अपितु "श्री प्रहलाद गुंजलजी की सलाह एवं प्रबंध मण्डल के निर्णयानुसार छात्र को अनुकम्पा राशि जारी की जाती है," यह अंकित होना चाहिए । प्रस्तुत प्रकरण में छात्र को एक लाख रूपये की राशि दुर्घटना बीमा के माध्यम से दी जा चुकी है । राशि 1. 00 लाख रूपये स्टाफ वेलफेयर फण्ड से जारी करने का निर्णय किया गया । भविष्य में ऐसे प्रकरणों पर नीति निर्धारण हेतु माननीय कुलपति महोदय द्वारा समिति का गठन करने का अनुमोदन किया गया ।**

BoM 26.11 **To Consider the draft Annual Report 2014-15 (CD Attached)**

The Annual Report of the University has been prepared as per the provision in the Act of University.
The report is submitted for perusal and approval.

Hon'ble Members are requested to kindly approve the same.

Resolution 26.11 **Annual Report 2014-15 was approved with modifications suggested.**

प्र.म. 26.11 प्रारूप वार्षिक रिपोर्ट 2014–15 (सीडी संलग्न) पर विचार करना ।

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2006 के अनुरूप विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। रिपोर्ट माननीय सदस्यों के समक्ष अवलोकनार्थ व अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

अतः प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

संकल्प 26.11 **वार्षिक रिपोर्ट 2014–15 में सुधारों के सुझावों के साथ अनुमोदन किया गया।**

BoM 26.12 **To approve the proposed list of Members for "Board of Governors" (BoG) under Rashtriya Uchchatar Siksha Abhiyan (RUSA) scheme of MHRD**

Rashtriya Uchchatar Siksha Abhiyan (RUSA) Scheme of MHRD is a centrally sponsored scheme with matching contribution from the concerned state government and Union Territory. The project will spread over XII and XIII plan.

An infrastructure grant of Rs. 20 crore (twenty crore) is sanctioned to Rajasthan Technical University, Kota under Rashtriya Uchchatar Siksha Abhiyan (RUSA) Scheme of MHRD for the 12th plan period.

Against above sanctioned amount, as per letter of Rajasthan State Project Directorate letter no. F(30)16SPD/RUSA/2016/219 dated 31 March 2016, it is communicated to RTU that approval is granted as infrastructure grant to release Rs.10 crore (Ten Crore) only in the bank account as first installment in 2015-16 including Rs. 600 lakh as centre share and Rs. 400 lakh is state share) under RUSA scheme of MHRD. (Annexure 26.12.1 page 133)

In carrying out the activities under RUSA scheme at the beneficiary Institution level, two bodies are to be framed, i.e. the Board of Governors (BoG)/ Syndicate and Project Monitoring Unit (PMU).

The Board of Governors (BoG)/ Syndicate will monitor the progress of institutional progress under RUSA scheme on a regular basis. BoG shall provide guidance for improving the performance of the institution in project implementation and report to State Project Directorate. Thus BoG functions shall be to form, supervise and guide various committees required for project implementation and internal project monitoring. (Annexure 26.12.2 page 134)

BoG could be a 10 to 15 member body chaired by an eminent individual. The board members should comprise individuals from the institutions itself, State Government, Society, industry as well as the academia.

The proposed list of Members of Board of Governors under RUSA scheme of MHRD is enclosed for perusal of members (Annexure 26.12.3 page 135-136). The Vice Chancellor shall be authorised to nominate members due to non availability of members.

Hon'ble Members are requested to kindly approve the same.

Resolution 26.12 **Proposal was approved with addition of name of Pro VC in the BoG list.**

प्र.म. 26.12 मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रवर्तित राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान हेतु **शासी मंडल के सदस्यों की सूची के अनुमोदन हेतु।**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रवर्तित राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, केन्द्र सरकार द्वारा वित्तपोषित योजना है जिसमें समतुल्य अनुदान संबंधित राज्य अथवा केन्द्रशासित प्रदेश सरकार देय है। यह परियोजना भारत सरकार की बाहरवीं व तेरहवीं योजना का भाग है।

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा को राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत बाहरवी योजनांनर्गत बीस करोड रूपयो का आधरभूत संरचना अनुदान स्वीकृत हुआ है।

उक्त अनदान की स्वीकृति के विषय में राजस्थान राज्य योजना निदेशालय के पत्र F(30)16SPD/RUSA/2016/219 dated 31 March, 2016 द्वारा सूचित किया गया था कि आधरभूत संरचना अनुदान की पहली किश्त के रूप में रूपये दस करोड़, जिसमें रूपये छः सौ लाख केन्द्रीय अंश व रूपये चार सौ लाख राज्य अंश के रूप में बैंक खाते में जारी किये गये है। (अनुलग्नक 26.12.1 पृष्ठ 133)

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत लाभान्वित संस्थान को गतिविधियां आरम्भ करने हेतु दो निकायों, शासी मण्डल व योजना परीवेक्षण इकाई, का गठन करना अनिवार्य है।

शासी मंडल राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के प्रावधनो के अन्तर्गत संस्थान की प्रगति का नियमित परीवेक्षण करेगा। शासी मंडल संस्थान के प्रदर्शन में अभिवृद्धि हेतु समुचित मार्गदर्शन देगा व राज्य योजना निदेशालय को सूचित करता रहेगा। इस प्रकार शासी मंडल के अधिकार क्षैत्र में योजना कार्यान्वयन तथा आंतरिक मूल्यांकन हेतु विभिन्न समितियों का गठन, परीवेक्षण एवं मार्गदर्शन भी सम्मिलित है। (अनुलग्नक 26.12.2 पृष्ठ 134)

उक्त शासी मंडल में एक गणमान्य विशेषज्ञ की अध्यक्षता में दस से पन्द्रह सदस्य होगें। सदस्य संस्थान के भीतर से, राज्य सरकार से, अन्य संस्थानो या शैक्षणिक क्षैत्रों से संबद्व होगें।
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत शासी मंडल के प्रस्ताावित सदस्यों की सूची सदस्यों के संदर्शन हेतु संलग्न है। (अनुलग्नक 26.12.3 पृष्ठ 135–136) समिति में किसी भी, सदस्य के अनुपलब्धता की स्थिति में कुलपति दूसरे किसी सदस्य को नामित करने के लिए अधिकृत होंगे।

अतः प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

संकल्प 26.12 शासी मंडल की सूची में प्रति कुलपति के नाम को सम्मिलित करते हुए प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया ।

BoM 26.13 **To approve the proposed list of Members for "Project Monitoring Unit" (PMU) under Rashtriya Uchchatar Siksha Abhiyan (RUSA) scheme of MHRD**

The Project Monitoring Unit of the Institute will perform the following roles:

a) Procurement of goods, works and services.
b) Financial management and performance audit

c) Implementation of faculty and staff development programs
d) Periodically update the MIS.

The composition of Project Monitoring Unit shall have the reprentratives from academic, officials of the institution, faculty, senior administrative officers, technical and non-technical supporting staff and students. (Annexure 26.13.1 page 137-138)

The proposed list of Members of Project Monitoring Unit under RUSA scheme of MHRD is enclosed for perusal of members. (Annexure 26.13.2 page 139-140). The Vice Chancellor shall be authorised to nominate members due to non availability of members.

Hon'ble Members are requested to kindly approve the same.

Resolution 26.13 **Approved.**

प्र.म. 26.13 **मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रवर्तित राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान हेतु योजना परीवेक्षण इकाई के सदस्यों की सूची के अनुमोदन हेतु**

संस्थान हेतु गठित योजना परीवेक्षण इकाई की निम्न भूमिका होगी।

1. वस्तुओं, संसाधनो तथा सेवाओं का उपार्जन
2. वित्त प्रबधन व निष्पादन लेखापरीक्षण
3. संकाय व विद्यार्थी विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन
4. प्रबंधन सूचना प्रणाली में निरंतर अद्यतन

उक्त योजना परीवेक्षण इकाई में संस्थानिक अधिकारी, संकाय सदस्य, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, शैक्षणिक तथा सहशैक्षणिक अधिकारी/प्रतिनिधि तथा विद्यार्थी सदस्य होगें। (अनुलग्नक 26.13.1 पृष्ठ 137–138)

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत योजना परीवेक्षण इकाई के प्रस्तावित सदस्यों की सूची सदस्यों के संदर्शन हेतु संलग्न है। (अनुलग्नक 26.13.2 पृष्ठ 139–140) समिति में किसी भी, सदस्य के अनुपलब्धता की स्थिति में कुलपति दूसरे किसी सदस्य को नामित करने के लिए अधिकृत होंगे।

अतः प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

संकल्प 26.13 **अनुमोदन किया गया ।**

BoM 26.14 **To approve the proposed "Activity Chart" under Rashtriya Uchchatar Siksha Abhiyan (RUSA) scheme of MHRD**

An activity chart giving details of road map of work undertaken under Rashtriya Uchchatar Siksha Abhiyan (RUSA) scheme of MHRD at RTU with target dates is to be prepared and approved by Board of Governors to ensure utilization of grants and has to be communicated to State Project Directorate.

The proposed activity chart under RUSA scheme of MHRD at RTU is enclosed for perusal of members. (Annexure 26.14 page 141)

Hon'ble Members are requested to kindly approve the same.

Resolution 26.14 **Members opined that "activity chart" should be replaced by "budget" as proposed in agenda item. The budget was approved.**

प्र.म. 26.14 **मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रवर्तित राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत गतिविधियों की रूपरेखा के अनुमोदन हेतु।**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रवर्तित राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा में किये जाने वाले विभिन्न कार्यों व गतिविधियों की रूपरेखा शासी मंडल द्वारा तैयार कर अनुमोदित की जानी है तथा राज्य योजना निदेशालय को सूचित किया जाना है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रवर्तित राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित गतिविधि रूपरेखा सदस्यों के संदर्शन हेतु संलग्न है। (अनुलग्नक 26.14 पृष्ठ 141)

अतः प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

संकल्प 26.14 **सदस्यों द्वारा मत प्रकट किया गया कि "गतिविधियों की रूपरेखा के स्थान पर" "बजट" लिखा जावे जैसा कि प्रस्ताव में प्रस्तुत किया गया है । बजट का अनुमोदन किया गया ।**

BoM 26.15 **To approve the constitution procedure to form various committees to carry out the activities required to be performed under Rashtriya Uchchatar Siksha Abhiyan (RUSA) scheme of MHRD at RTU, besides BoG .**

An Institutional Development Plan depicts the source requirements at institution level as well as at its sub units for program implementation. As per Activity Chart Institutional Development Plan and Various Sub Committees shall be required to be formed for carrying out smooth functioning of RUSA Project work at RTU.

It is proposed that Nodal officer of Project (Chairman of PMU) after seeking approval of Honourable VC (BoG Chairman) may issue orders from time to time for constitution of sub committees, required to smoothly perform the work under RUSA scheme of MHRD at RTU. The same will be reported before BoG, when.

Hon'ble Members are requested to kindly approve the same.

Resolution 26.15 **Approved.**

प्र.म. 26.15 **मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्धारा प्रवर्तित राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के लिये समितियों के गठन हेतु वैधानिक प्रकिया के अनुमोदन हेतु।**

संस्थानिक विकास कार्ययोजना द्वारा आवश्यकताओं तथा साधनों का संस्थानिक स्तर पर तथा कार्यक्रम कार्यान्वियन हेतु उप इकाई स्तर तक विस्तृत निरूपण किया जाता है। गतिविधियों की रूपरेखा को साकार करने हेतु संस्थानिक विकास कार्ययोजना निरूपण तथा विभिन्न उप इकाईयों का गठन किया जाना आवश्यक है ताकि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान परियोजना का सुचारू संचालन किया जा सकें।

अतः प्रस्तावित है कि योजना के मुख्याधिकारी (योजना परीवेक्षण इकाई के अध्यक्ष) माननीय कुलपति महोदय से स्वीकृति प्राप्त कर समय समय पर विभिन्न समितियों एवं उपसमितियों के गठन के आदेश जारी करने हेतु सक्षम होगें, जो कि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान परियोजना के सुचारू संचालन हेतु आवश्यक है। उक्त कार्यकलाप शासी मंडल के समक्ष यथोपेक्षित प्रस्तुत किये जायेंगें।

अतः प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

संकल्प 26.15 **अनुमोदन किया गया ।**

प्र.म. 26.16 **राजस्थान तकनीकी विष्वविद्यालय, कोटा के शिक्षकों को प्रोफेशनल विकास हेतु राशि की स्वीकृति व विष्वविद्यालय द्वारा अपने संसाधनो द्वारा ही प्रावधान के अनुमोदन हेतु।**

दिनांक 20.01.2015 को माननीय मंत्री महोदय, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में विभागीय समीक्षात्मक बैठक (पॉलीटेक्निक/इंजिनियरिंग) में दिये गये निर्देशानुसार बैठक के कार्यवाही विवरण के बिन्दु 19 के अन्तर्गत राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा के शिक्षकों को प्रोफेशनल विकास हेतु राशि आगामी प्रबंध मण्डल की बैठक मे अनुमोदन करवाने के पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा अपने स्तर पर अपने संसाधनो से लागू करने पर चर्चा की गई।

देश के समस्त उच्चतर तकनीकी संस्थानो में शिक्षको को शोध व अध्यापन में नवाचार, ज्ञान समृद्वि व प्रोफेशनल विकास कर छात्रों को बेहतर प्रशिक्षण देने हेतु प्रोत्साहित करने के लिये प्रोफेशनल विकास हेतु राशि दी जाती है त्रिवार्षिक रूप से शिक्षक द्वारा योजनाबद्व तरिके से व्यय की जाती है। मालवीय राष्ट्रीय प्रोद्यौगिकी संस्थान जयपुर के प्रबंध मण्डल द्वारा अनुमोदित (Item No. 20.4.5) सदस्यों के संदर्शन हेतु सलग्न है। अनुलग्नक 26.16 पृष्ठ 142–148)

प्रस्तावित है कि दिनांक 20.01.2015 को माननीय मंत्री महोदय, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में विभागीय समीक्षात्मक बैठक (पॉलीटेक्निक/इंजिनियरिंग) में दिये गये निर्देशानुसार बैठक के कार्यवाही विवरण के बिन्दु 19 की भावना के अनुरूप मालवीय तकनीकी संस्थान जयपुर के प्रबंध मण्डल द्वारा अनुमोदित (Item No. 20.4.5) शब्दशः स्वीकार किया जाता है। मालवीय तकनीकी संस्थान जयपुर द्वारा भविष्य में प्रोफेशनल विकास हेतु राशि के नियमों में उत्तरोत्तर कोई भी बदलाव होने पर राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा भी उक्त बदलाव स्वीकार किये जायेंगें तथा आगामी प्रबंध मण्डल की बैठक में सदस्यों की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये जायेंगें। इस हेतु समस्त वित्त भार का वहन राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा अपने संसाधनो से ही किया जायेगा।

अतः प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

संकल्प 26.16 **सदस्यों का अभिमत था कि कि बदलते परिवेश में शिक्षकों को शोध एवं अध्यापन में नवाचार की निरन्तर आवष्यकता रहती है अतः वित समिति में प्रस्ताव रखकर आगामी प्रबन्ध मंडल की बैठक में अनुमोदन हेतु रखा जावे ।**

BoM 26.17 **To peruse and provide direction on the matter of appointment of Professor in Computer Science & Engineering Department vide resolution of BoM 20.27 and BoM 24.9.**

In compliacnce of resolution of BoM 24.9, following letters were written to AICTE for clarification in the matter;

1) Letter No. VCS/F.1/1/2015/9367 dated 16-09-2015 by Hon'ble Vice Chancellor. (Annexure 26.17.1 page 149)
2) Letter No. F(4)D-V/Recruitment/2015/1118 dated 18-11-2015 by Pro Vice Chancellor. (Annexure 26.17.2 page 150)
3) Letter No. F(4)DA-V/Recruitment/2015/15545 dated 12-02-2016 by Registrar. (Annexure 26.17.3 page 151)
4) Letter No. F(4)DA-V/Recruitment/2015/18312-14 dated 21-03-2016 by Registrar. (Annexure 26.17.4 page 152)

University could not get any reply from AICTE in response to the above correspondence. However, the AICTE, New Delhi has issued ''Extraordinary'' Notification dated 04th January, 2016 regarding clarifications on certain issues/anomalies pertaining to qualifications, pay

scales, service conditions, Career Advancement Scheme (CAS) etc. for Teachers and other Academic Staff of Technical Institutions (Degree/Diploma). In this Notification, under the heading of "A- Issues related to Qualifications, point No. 5 described as below :-

"A.- <u>ISSUES RELATED TO QUALIFICATION</u>

5. Clarification in respect of Ph.D. acquired from inter disciplinary Centres/Departments in relevant Discipline in which faculty has Acquired BE/B. Tech. and ME/ M. Tech. Degree	*The BOG of the concerned Institute on the basis of the recommendations of properly constituted Selection committee and with the approval of their State Technical Education Deptt./ State/UT/Central Govt./ University may take appropriate decision."*

(Annexure 26.17.5 page 153-171)

In respect of above clarification It is submitted that (i) duly constituted Selection Committee recommended Selection of Dr. C.P. Gupta on the post of Professor, (ii) BoM subsequently approved Selection vide BoM Agenda Item No. 20.27 and (iii) Govt. also approved the recommendations of committee constituted in the matter.

It is also submitted that Dr. C.P. Gupta filed two legal cases of Temporary Injuction (T.I.) No. 12434/2015 & Civil Suit No.12015/2015 pending at Civil Judge (Junior Division) South, Kota (Chandra Prakash Gupta V/s State of Rajasthan through Distt. Collector, Kota & others) and another legal case No. 13226/2015 –Chandra Prakash Gupta V/s RTU, Kota through Registrar at Single Bench of Hon'ble High Court of Rajasthan, Jaipur respectively and are pending for decision.

In view of above, the matter is put up before Hon'ble Members for consideration and decision.

Resolution 26.17 **The letter received from Jt. Secretary, Technical Education & BOM Member & MLA Sh. Prahlad Gunjal in respect of the agenda item were put up before BoM members for perusal.**

All facts of the case of appointment of Sh. C.P.Gupta on the post of Professor, Computer Science were placed before BoM members. All members were of the opinion that all required proceedings have been made in this matter. The appointment letter may be issued after permission from State Govt.

प्र.म. 26.17 **प्रबंध मण्डल की 20वीं बैठक के बिन्दु संख्या 20.27 एवं प्रबंध मण्डल की 24वीं बैठक के बिन्दु संख्या 24.9 पर कम्प्युटर सांइस विभाग में प्रोफेसर पद पर नियुक्ति प्रकरण के अवलोकन एवं निर्देशन हेतु**

प्रबंध मण्डल के बिन्दु संख्या 24.9 के संकल्प की अनुपालना में निम्न पत्र AICTE को स्पष्टीकरण हेतु भेजे गए :

1. पत्र क्र. VCS/F.1/1/2015/9367 दिनांक 16.09.2015 को माननीय कुलपति महोदय द्वारा। (अनुलग्नक 26.17 पृष्ट 149)
2. पत्र क्र. F(4)DA-V/Recruitment/2015/1118 दिनांक 18.11.2015 को प्रति-कुलपति द्वारा (अनुलग्नक 26.17 पृष्ट 150)
3. पत्र क्र. F(4)DA-V/Recruitment/2015/15545 दिनांक 12.02.2016 को माननीय कुलपति महोदय द्वारा (अनुलग्नक 26.17 पृष्ट 151)
4. पत्र क्र. F(4)DA-V/Recruitment/2015/18312-14 दिनांक 21.03.2016 को कुलसचिव द्वारा (अनुलग्नक 26.17 पृष्ट 152)

1. विश्वविद्यालय को उक्त पत्रों के जवाब अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से प्राप्त नहीं हुए है। हालांकि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा जारी असाधारण अधिसूचना दिनांक 4 जनवरी, 2016 के तहत तकनीकी संस्थानों (डिग्री / डिप्लोमा) में कार्यरत शिक्षकों व कर्मचारियों की शैक्षणिक योग्यता, वेतनमान, सेवा शर्तें, सी.ए.एस. इत्यादि से संबंधित कुछ मुद्दे/विसंगतियों के बारे में स्थिति स्पष्ट की गई है। इस अधिसूचना में बिंदु 'A–योग्यता संबंधी मुद्दे' का बिंदु क्र 5 इस प्रकार है:

A–योग्यता संबंधी मुद्दे

बिंदु क्र 5

अंतर्संकायी केन्द्रो/विभागों से उस संबंधित विषय में Ph.D. की उपाधि प्राप्त करना जिसमें शिक्षक ने B.E./B.Tech एवं M.E./M.Tech उपाधि प्राप्त की है।	*उचित रूप से गठित चयनसमिति की सिफारिशों एवं राज्य तकनीकी शिक्षा विभाग/राज्य/यूटी/केन्द्र सरकार/ विश्वविद्यालय के अनुमोदन के आधार पर संबंधित संस्था की बोर्ड ऑफ गवनर्स उचित निर्णय ले सकता है। प्रबंध मंडल की 20वीं बैठक में संकल्प क्र 20.27, 23वीं बैठक में संकल्प क्र 23.06 एवं 24वीं बैठक में संकल्प क्र 24.09 द्वारा प्रस्तुत किया गया।* ***(अनुलग्नक 26.17 पृष्ट 153–171)***

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के उक्त स्पष्टीकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्न जानकारी प्रस्तुत है;

1. विधिवत गठित चयन समिति ने डा. सी.पी. गुप्ता को प्रोफेसर पद पर चयन की अनुशंसा की थी।
2. चयन समिति की अनुशंषाओं को 20वीं प्रबंध मण्डल की बैठक के बिन्दु सं0 20.27 पर अनुमोदित किया गया है।
3. उक्त प्रकरण में 20वीं प्रबंध मण्डल की बैठक की अनुशंषा के आधार पर गठित कमेटी की अनुशंषा को भी सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया।

यह भी उल्लेखनीय है कि डा. सी. पी. गुप्ता ने दो न्यायिक प्रकरण टेम्परेरी इन्जंक्शन क्र0 12434/2015 एवं सिविल प्रकरण क्र 12015/2015 दाखिल किए हैं जो सिविल जज (जूनियर डिविजन), कोटा उत्तर के समक्ष लंबित हैं (चन्द्र प्रकाश गुप्ता, विरूद्ध राजस्थान सरकार द्वारा जिला कलेक्टर कोटा एवं अन्य)। एवं अन्य न्यायिक प्रकरण क्र 13226/2015 (चन्द्र प्रकाश गुप्ता, विरूद्ध राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा कुलसचिव) जो कि माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर की एकलपीठ के समक्ष लंबित है।

अतः प्रकरण उपरोक्त संदर्भ में अवलोकन एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

संकल्प 26.17

बिन्दु संख्या 26.17 के कम में संयुक्त सचिव तकनीकी शिक्षा तथा प्रबंध मंडल सदस्य माननीय विधायक श्री प्रहलाद गुंजल से प्राप्त पत्रों को माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ रखा गया ।

श्री सी.पी.गुप्ता के कम्प्यूटर विभाग में प्रोफेसर पद पर नियुक्ति से संबंधित सभी तथ्यों को माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया । प्रबंध मंडल के सदस्यों का मत था कि चूंकि इस संदर्भ में सारी कार्यवाहियां की जा चुकी है। अतः राज्य सरकार की अनुमति के उपरांत नियुक्ति पत्र जारी किया जा सकता है ।

BoM 26.18

To peruse and provide direction on the matter of appointment of Asstt. Professon in Electronics Instrumentation & Control Department vide resolution of BoM 20.27 and BoM 24.10.

In compliacnce of resolution of BoM 24.10, following letters were written to AICTE for clarification in the matter.

1) Letter No. VCS/F.1/1/2015/9368 dated 16-09-2015 by Hon'ble Vice Chancellor. (Annexure 26.18.1 page 172)
2) Letter No. F(4)DA-V/Recruitment/2015/1117 dated 18-11-2015 by Pro Vice Chancellor (Annexure 26.18.2 page 173)
3) Letter No. F(4)DA-V/Recruitment/2015/15273 dated 08-02-2016 by Registrar (Annexure 26.18.3 page 174)
4) Letter No. F(4)DA-V/Recruitment/2015/18117 dated 18-03-2016 by Registrar (Annexure 26.18.4 page 175)

University could not get any reply from AICTE in response to the above correspondance. However, the AICTE, New Delhi has issued "Extraordinary" Notification dated 04th January, 2016 regarding clarifications on certain issues/anomalies pertaining to qualifications, pay scales, service conditions, Career Advancement Scheme (CAS) etc. for Teachers and other Academic Staff of Technical Institutions (Degree/Diploma). In this Notification, under the heading of "A- Issues related to Qualifications, point No. 7 described as below:-

"A.- ISSUES RELATED TO QUALIFICATION

Point No. 7

Clarification regarding appropriateness and equivalency of higher Qualifications (M.Tech./Ph.D.) Obtained in branches other than Core branches of BE/B. Tech. For the purpose of CAS/Promotion and direct recruitment. "	To be dealt as per issue No. 5 (It is submitted that details at Point No. 5 mentioned at the case of Professor, Computer Science Engineering). (Annexure 26.17 page 153-171)

It is also submitted that National Commission for Scheduled Tribes, New Delhi has sent a summons to Hon'ble Vice Chancellor on the representation dated 06-08-2015 submitted by Shri Madan Lal Meena, Asstt. Registrar of the University regarding harassment & non release of appointment letter for the post of Assistant Professor, Electronics Instrumentation & Control Engineering (on General Category as he belongs to ST category). A copy of summons attached herewith for reference.

Further, National Commission for Scheduled Tribes, New Delhi has sent a letter No. MLM/2015/STGRJ/SEHRMT/RU-III dated 29-04-2016 (Annexure 26.18.5 page 176-179) along with proceedings from Shri N. Balasubramanian, Research Officer, National Commission for Scheduled Tribes, New Delhi at attached herewith at Annexure. A letter in this regard has been sent through Speed Post to National Commission for Scheduled Tribes, New Delhi for granting time for action on the proceedings upto 30th June, 2016, in which the Commission advised to Vice Chancellor, Chairman of the Board of Management and Additional Chief Secretary, Department of Technical Education, Govt. of Rajasthan to issue :-

(i) Appointment order to Shri M.L. Meena for the post of Assistant Professor in Electronics, Instrumentation & Control Engineering in Rajasthan Technical University, Kota (Rajasthan) by 15-03-2016.

(ii) The date of joining of Shri M.L. Meena will be kept from the date of declaration of result which was 23-09-2014 to maintain his seniority as well as no financing loss to the petitioner.

The University submitted the reply before the National Commission for Scheduled Tribes, New Delhi on 09-02-2016. A copy of reply of the Summons attached for reference. (Annexure 26.18.6 page 180-207)

In above context, Legal opinions from two different advocates of the university have been obtained on the proceedings of national commission for scheduled tribes, New Delhi brief opinions as below: -

(i) Shri K.L. Thakur Additional Advocate General, Hon'ble High Court of Rajasthan, Jodhpur (University panel Advocate, Jodhpur).

"I have careful examined the relevant facts of the case in hand and came to the conclusion that, the commission derives its powers from the Article 338 and 338 A of the Constitution of India and after thoroughly examining the said provisions of the constitution of India. I am of the opinion that the Commission under article 338A of the Constitution of India is not an adjudicatory body which can issue binding directions and the advised given by the commission are recommendatory in nature and can not be equated with the decree/order passed by the Judicial Court which are binding on the parties and can be enforced and executed and further in my opinion if the University is aggrieved by the before the High Court of Judicature for issuance of the writ of prohibition against the order dated 9-2-2016 passed by the vice chairperson of the National Commission for Schedule Tribes, New Delhi.

I would also refer the Judgment of the Delhi High Court in which same view was taken by the Hon'ble Justice Man Mohan in Union of India & Anr. V/s National Commission for Schedule Caste & Anr. In writ Petition no 2390/2012 decided on 28th May, 2014. For the ready reference the copy of the judgment dated 28-05-2014 is annexed herewith. (Annexure 26.18.7 page 208-224)

(ii) Sh. A.K. Bhargava, Advocate Hon'ble High Court of Rajasthan, Banch, Jaipur.

"In proceeding minutes para No. 6 many BoM Members resolved to seek opinion from AICTE regarding his qualification as I have come to know, the same is pending with AICTE. In my opinion, the matter be again placed before BoM with latest position and if BoM given the

clearance to appoint him as Assistant Professor in concern discipline, action may be taken accordingly.

Since NC for SC letter is of Dt.29-04-2016 and if, BoM meeting to be held ois not in near future, the writ petition under Article 226 of the Constitution of India shall lie for which necessary steps may kindly be taken immediately". Copy of above legal Opinions are attached as (Annexure 26.18.8 page 225)

In view of above, the matter is put up before Hon'ble Members for consideration and decision.
consideration and decision.

Resolution 26.18 **The letter received from Jt. Secretary, Technical Education in respect of the agenda item was put up before BoM member for perusal.**

All facts of the case of appointment of Sh. M.L.Meena on the post of Assistant Professor, Electronic Instrumentation & Control were placed before BoM members. All members were of the opinion that all required proceedings have been made in this matter. The appointment letter may be issued after permission from State Govt.

प्र.म. 26.18 **प्रबंध मण्डल की 20वीं बैठक के बिन्दु संख्या 20.27 पर इलेक्ट्रोनिक्स इन्सट्रूमेंटेशन एण्ड कण्ट्रोल विभाग में सहायक प्रोफेसर पद पर नियुक्ति प्रकरण के अवलोकन एवं निर्देशन हेतु।**

इस संबंध में निम्न पत्र AICTE को भेजे गए जिनका अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है:–

1 माननीय कुलपति महोदय द्वारा पत्र क्र. VCS/F.1/1/2015/9367 दिनांक 16.09.2015 **(अनुलग्नक 26.18.1 पृष्ठ 172)**
2. प्रति–कुलपति द्वारा पत्र क्र. F(4)DA-V/Recruitment/2015/1118 दिनांक 18.11.2015 **(अनुलग्नक 26.18.2 पृष्ठ 173)**
3. कुलसचिव द्वारा पत्र क्र. F(4)DA-V/Recruitment/2015/15545 दिनांक 12.02.2016 **(अनुलग्नक 26.18.3 पृष्ठ 174)**
4. कुलसचिव द्वारा पत्र क्र. F(4)DA-V/Recruitment/2015/18312-14 दिनांक 21.03.2016 **(अनुलग्नक 26.18.4 पृष्ठ 172)**

AICTE, नई दिल्ली द्वारा 4 जनवरी, 2016 को 'विशेष' अधिसूचना जारी की गई जिसमें तकनीकी संस्थाओं (डिग्री/ Diploma) के शिक्षकों एवं अन्य शैक्षिक स्टाफ की योग्यताओं, वेतनमानों, सेवाशर्तो, कैरियर एडवांसमेंट स्कीम आदि संबंधी कुछ मुद्दे/विसंगतियों के बारे में स्थिति स्पष्ट की गई है। इस अधिसूचना में बिंदु 'A–योग्यता संबंधी मुद्दे का बिंदु क्र0–7 इस प्रकार है:

A–योग्यता संबंधी मुद्दे

बिंदु क्र0–7 B.E./B.Tech की कोर ब्रांचों के अलावा अन्य ब्रांचों में उच्च शिक्षा (M.Tech/Ph.D.) के औचित्य एवं इक्वीलेंसी के बारे में स्पष्ट स्थिति (श्री सी. पी गुप्ता बिन्दु सं. 5 के अनुसार):

यह प्रकरण प्रोफेसर (कम्प्यूटर साइंस इंजीनियरिंग) के पद पर सीधी भर्ती हेतु डॉ. सी पी. गुप्ता (एसो. प्रोफेसर, कम्प्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विभाग) से संबंधित है। श्री सी. पी. गुप्ता ने दो लंबित न्यायिक प्रकरण टेम्परेरी इन्जक्शन क्र0 12434/2015 एव सिविल प्रकरण क्र 12015/2015 दाखिल किए हैं जो सिविल जज (जूनियर डिविजन), कोटा उत्तर के समक्ष लंबित हैं। (चन्द्र प्रकाश गुप्ता, विरूद्व राजस्थान सरकार द्वारा जिला कलेक्टर कोटा एव अन्य) एव अन्य न्यायिक प्रकरण क्र 13226/2015 (चन्द्र प्रकाश गुप्ता, विरूद्व राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा **द्वारा कुलसचिव) जो कि** माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर की एकलपीठ के समक्ष लंबित है।

प्रबंध मंडल की 20वीं बैठक में संकल्प क्र0 20.27, 23वीं बैठक में संकल्प क्र0 20.06 एवं 24वीं बैठक में संकल्प क्र0 24.10 द्वारा प्रस्तुत किया गया।

नेशनल कमीशन फॉर शेडयूल्ड ट्राइब्स, नई दिल्ली ने श्री मदनलाल मीणा (विश्वविद्यालय में सहायक कुलसचिव) द्वारा दिनांक 06.08.2015 को दिए गए पत्र, जिसमें उन्होंने प्रताड़ित करने और असिस्टेंट प्रोफेसर (इलेक्ट्रोनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एण्ड कंट्रोल इंजिनियरिंग) के पद पर सामान्य श्रेणी में नियुक्ती पत्र नहीं देने के बारे में कहा है (श्री मीणा ST श्रेणी में आते हैं), के आधार पर माननीय कुलपति महोदय को सम्मन भेजा है।

अभी हाल ही में श्री एन. बालासुब्रह्मण्यम, रिसर्च ऑफिसर, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, नई दिल्ली का पत्र क्र0 MLM / 2015 / STGRJ / SEHRMT/ RTU-III दिनांक 29.04.2016 **(अनुलग्नक 26.18.5 पृष्ठ 176–179)**कार्यवाही विवरण के साथ प्राप्त हुआ है, जो संलग्न है। इस सबंध मे क. पत्र स्पीड पोस्ट द्वारा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, नई दिल्ली को कार्यवाही विवरण पर कार्य करने के लिए 30 जून 2016 तक का समय मांगा गया है, जिसमें कमीशन ने कुलपति, प्रबन्ध मण्डल के चेयरमन एवं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार को सलाह देते हुए कहा है कि :

i) श्री एम. एल. मीणा की असिस्टेंट प्रोफेसर (इलेक्ट्रोनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एण्ड कंट्रोल इंजिनियरिंग) के पद पर राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में 15.03. 2016 तक नियुक्ति पत्र दे दिया जाए।

ii) श्री एम. एल. मीणा की सेवा आरंभ तिथि परिणाम आने की तिथि 23.09.2014 ही रखी जाए ताकि याचिकाकर्ता की वरिष्ठता बरकरार रहे एवं उसे कोई आर्थिक क्षति न हो।

उक्त संबंध विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली को दिनांक 09.02.2016 को प्रतिउत्तर प्रेषित किया गया । जिसकी प्रति संलग्न है। **(अनुलग्नक 26.18.6 पृष्ठ 180–207)**

संबंध में विश्वविद्यालय के निम्न दो विभिन्न अधिवक्ताओं से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली की उक्त वर्णित प्रोसिडिंग्स के संबंध में विधिक राय प्राप्त की गई जो संक्षिप्त में निम्नानुसार है : –

1. **श्री के.एल. ठाकुर, अतिरिक्त महाधिवक्ता, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर**

" मेरे द्वारा ध्यानपूर्वक संबंधित तथ्यों का प्रकरण में परीक्षण किया गया और यह सार है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 एवं 338 ए के अन्तर्गत आयोग एक आदेशात्मक संस्था नहीं है, जो बाध्यकारी निर्देश दे सकती हो और आयोग द्वारा दी गई सलाह अनुशंसित प्रकृति की है एवं डिक्रीज / आदेश जो न्यायिक न्यायालयों द्वारा दिये जाते है।, के समान नहीं है। साथ पक्षकारों पर बाध्यकारी नहीं है एवं प्रभावकारी तथा पालनीय नहीं हो सकते । अन्ततः मेरी राय मं अगर विश्वविद्यालय, आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों से पीड़ित है तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातति आयोग, नई दिल्ली के वाईस चेयरपर्सन के आदेश दिनांक 9.2.2016 को रोके जाने के संबंध में रिट याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए।

दिल्ली उच्च न्यायालय का समान प्रकरण में दिया गया निर्णय जो माननीय जस्टिस मनमोहन के यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य बनाम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अयोग एवं अन्य से सम्बंधित रिट याचिका क्रमांक 2390/2012 जो दिनांक 28 मई 2014 को निर्णित हुई है, संलग्न है। **(अनुलग्नक 26.18.7 पृष्ठ 208–224)**

2. **श्री ए.के. भार्गव, अधिवक्ता, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर**

"आयोग की प्रोसिडिंग मिनिट्स के पैरा नं0 06 में वर्णित प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों द्वारा निर्णय लिया जाकर श्री मीणा की योग्यता के संबंध में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की राय प्राप्त की जावें और मैं यह जान पाया हूँ कि उक्त प्रकरण अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के पास लम्बित है। मेरी राय में प्रकरण पुनः प्रबंध मण्डल के समक्ष वर्तमान स्थिति के साथ प्रस्तुत किया जावें तथा अगर प्रबंध मण्डल श्री मीणा को संबंधित ब्रांच में नियुक्ति दिये जाने के संबंध में क्लियरेन्स देता है तो तदानुसार कार्यवाही की जावें।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के पत्र दिनांक 29.04.2016 के संबंध में यदि प्रबंध मण्डल की बैठक निकट भविष्य में नहीं हो रही है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत रिट याचिका दायर की जा सकेगी, जिसके लिए आवश्यक कदम तुरन्त उठाये जा सकते है" **(अनुलग्नक 26.18.8 पृष्ठ 225)**

उपरोक्त प्रकरण में दो वरिष्ठ अधिवक्ताओं की सलाह प्राप्त की गई है।

अतः प्रकरण उपरोक्त संदर्भ में अवलोकन एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

संकल्प 26.18

बिन्दु संख्या 26.17 के कम में संयुक्त सचिव तकनीकी शिक्षा से प्राप्त पत्र को माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ रखा गया ।

श्री एम.एल.मीना के इलेक्ट्रोनिक्स इंजी. विभाग में सहायक प्रोफेसर पद पर नियुक्ति से संबंधित सभी तथ्यों को माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया । प्रबंध मंडल के सदस्यों का मत था कि चूंकि इस संदर्भ में सारी कार्यवाहियां की जा चुकी है। अतः राज्य सरकार की अनुमति के उपरांत नियुक्ति पत्र जारी किया जा सकता है ।

BoM 26.19

To consider the Selection Procedure for Direct Recruitments of Assistant Professor, Associate Professor and Professor of University Department of RTU.

In this regard, a letter No. 20(2)त.शि./2005 dated 31st March, 2016 received from Jt. Secretary (Technical Education), Govt. of Rajasthan, Jaipur regarding Recruitment Rules (RRs) for recruitment of Assistant Professor, Associate Professor & Professor in **Govt. Aided Engineering Colleges of Rajasthan.** The aforesaid letter having criteria & procedure etc. for direct recruitment of Assistant Professor, Associate Professor & Professor which may also be considered for direct recruitment in Rajasthan Technical University, Kota except Constitution of Selection Committee mentioned at Point No. 3 under (Annexure 26.19.1 page 226-231 of the above letter). The details of the letter are given below:-

Guidlines for recruitment of Assistant Professor/ Associate Professor/ Professor in Departments of Rajasthan Technical University, Kota.

1. **<u>Date of commencement:</u>** These guidelines shall come into force from the date of approval by BoM.
2. **<u>Age limit for Direct Recruitment:</u>** The maximum age limit for direct recruitment of Assistant Professor will be 35 years However, maximum age limit for the post of Associate Professor & Professor will be 45 and 50 years respectively and no relaxation in age limit will be granted for these posts. However, the age relaxation will be provided to the respective categories as per State Government norms.

3. **<u>Educational qualification and/ or Experience:</u>** Qualifications, experience and pay and other allowances required for various posts shall be as per specified by AICTE/UGC from time to time.

4. **Probation:** As per the prevalent norms of the State Government of Rajasthan for "on probation"/ "probationer trainee".

5. **Scruitiny Committees:** Scrutiny Committee shall consist of minimum five members appointed by Vice Chancellor with member secretary not below the rank of Assistant Registrar.

6. **Selection Committee:**

The Selection committee constitution shall be as per "The Rajasthan Universities' Teachers and Officers (Selection for Appointment) Act No.18 of 1974 & Notification of dated 08-11-2012 issued by AICTE, New Delhi" or as per amendment from time to time for the posts of Assistant Professors, Associate Professors and Professors. Copies of both the documents attached at **Annexure** 26.19.2 page 232-246)

7. **Selection Criteria:**
Selection Criteria as per table-1.
However, the scrutiny and selection committees will use all information available to them and be as quantitative as possible in assessing the qualification, experience, eligibility etc. of the candidates in accordance with point 3 as above which shall be provided to the committees. Their recommendations will reflect a collective decision based on accumulated professional experience which is often not possible to quantify. Committees will not be obliged to record the details of their individual reasoning process.

Table-1 **Selection Criteria for Assistant Professor (Engineering/ Technology/ Architecture/ Management/ MCA/ Humanities):**

Sno.	Criteria	Maximum Marks
A)	Academic Background	20
B)	Written Test Performance (Subject based 50+English 10+ Apptitude 10)	70
C)	Interview performance (Weightage will be Considered as per Table-5)	10
	Total (A+B)	100

Breakup of Weightage of A is given in Table 3

Table-2 **Selection Criteria for Associate Professor & Professor (Engineering/ Technology/ Architecture/ Management/ MCA/ Humanities):**

A)	S.N.	Parameter	Maximum Marks

	1.	**Academics Background**	20
	2.	**Research performance based score and quality of publication (Marks will be decided strictly as per the criteria given below):- Scrutiny committee will evaluate/calculate/finalize API scores strictly as per the notification dated 08.11.2012, Table Category III Research and Academic Contribution comprising:-III (A) Research Paper published, III (B) Research Publication (Books, chapter in books, other than referred journal articles), III(C) Research Projects, III(D) Research Guidance, III(E) Training courses and conference/Seminar/Workshop papers etc.**	40
		Total A (1+2)	60
B)	Assessment of domain knowledge and teaching skill		
	1.	Domain Knowledge :- Assessment of Domain knowledge will be made through group discussion / presentation/ case study before subject experts who are the part of selection committee.	10
	2.	Teaching Skill:- Method of assessment- through past three years result (50%) and 10 minutes presentation (50%) before subject experts who are the part of selection committee. For candidates having nil teaching experience-full weightage will considered through presentation.	10
		Total B (1+2)	20
C)		Interview performance (Weightage will be Considered as per Table-5)	20
		Total (A+B+C)	100

Breakup of Weightage of A1 & A2 is given in Table 3 & 4 respectively.

Table-3 **Breackup of Weightage of Academic Background. (20 Marks)**

Sno.	Qualification	90% or above	80% or above	70% or above	60% or above	less than 60%	Maximum Marks
1	B.Tech.	10	09	08	07	06	10
2	M. Tech.	10	09	08	07	06	10
3	Ph.D./Experience/ Publications	Maximum 4 marks may be given but the total marks for Academic Background should not exceed 20.					

Table-4 Breackup for for Evaluation of Research Performance for Associate **Professor & Professor.**

Publications	Intr. Jr.	Nat. Jr.	Intr. Conf.	Nat. Conf.	Max Marks
	(3-4) x n Max. 16	(3) x n (Max. 12 if no pub. in int. jr.)	(2 x n) (Max. 9 if no pub. in int. jr. & nat. jr.)	1 x n Max.7	16

M.Tech. Discrtation/Ph.D. Thesis/ Book	Ph.D. 5 x n	M.Tech. 3 x n	Books 3 x n		16
Research project/organization of seminar/conf./workshop/Traning programme etc	The scrutiny committee shall award the marks on the basis of credential and no. of programmes.				08

Table-5 Break-up of Weightage of Interview:

Activity	Weightage for the post of Assistant Professor	Weightage for the post of Associate Professor	Weightage for the post of Professor
Confidence of the candidate	20% (2)	20% (4)	20% (4)
Communicate Skills.	20% (2)	20% (4)	20% (4)
Teaching and Research Aptitude.	50% (5)	45% (9)	40% (8)
Leadership Skills.	10% (1)	15% (3)	20% (4)

1. Instructions for Direct Recruitment of Assistant Professor/ Associate Professor/ Professor:

1. All appointments for the post of Assistant Professor/ Associate Professor/ Professor will be made through open advertisement in minimum one National and two State Level news-papers. These advertisements will also be uploaded on the University website. Reservation of vacancies for SC/ST/OBC/SBC etc will be made in accordance with the prevalent norms of State Government.
2. An online/ offline application process shall be adopted for direct recruitment for various posts.
3. The University will constitute a minimum five member scrutiny committee for screening of applications received from the candidates. The Scrutiny committee shall examine the particulars of all candidates who have applied for various posts as per the guidelines for direct recruitment.
4. The applicants applying for engineering streams must possess a recognized graduate degree in related/ equivalent field of Engineering. In case of MBA/MCA, candidate must possess a recognized post graduate degree/ PGDM/ PGDCA in the relevant discipline as per the AICTE guidelines.
5. The candidate should have Ph.D. from a recognized University. In case of any work experience claimed equivalent to Ph.D., shall be judged on the basis of publication of 5 International Journal papers (each journal having a cumulative impact index of not less than 2.0) with incumbent as the main author and all 5 publications in the author's area of specialization.
6. Experience at Diploma Institutions is also considered equivalent to experience in degree level Institutions at appropriate level and as applicable. However, qualifications as above shall be mandatory.

7. If a class/ division is not awarded, minimum of 60% marks in aggregate shall be considered equivalent to first class/division. If a Grade Point system is adopted, the CGPA (Cumulative Grade Point Average) will be converted into equivalent marks as approved by competent body/ AICTE.
8. The quvilance of marks / degrees awarded by Universities situated out side India, may be considered on merit by the Rajasthan Technical University.
9. Counting of experience wherever required for direct recruitment for various posts will be considered as per AICTE notification dated 08-11-2012 as amended time to time and UGC regulation dated 30.06.2010 as amended time to time.
10. For Assessment of domain knowledge through Offline/ Online test, syllabus for each discipline shall be considered similar to the syllabus of latest GATE/CAT/NET examinations or as deemed fit to Rajasthan Technical University, Kota. Candidates obtaining minimum 40% marks in the Offline/ Online test shall be eligible for the interview.
11. Offline/ Online test will be of two hours duration consisting of one hundred questions (Objective types).
12. For the post of Assistant Professor-Approximately three times or more eligible candidates of the vacancy of a particular discipline will be called for interview based on the merit of test/online test. Final selection of Assistant Professor shall be based on the merit prepared based on Academic Performance, written test and interview marks taken together.
13. For the post of Associate Professor and Professor – Candidates will be called for interview and other assessments provided they fulfil the criterion of APIs (300 for Associate Professor and 400 for Professor). Total number of candidates called for the interview under these categories will be approximately three times or more, of the number of vacancies, of a particular discipline.
14. Applicants appliying for different post shall be required to fill separate application forms for the respective posts.
15. Subject experts will assess domain knowledge of the candidates as per Table-2. Selection Committee will assess the candidates as per the weightage of different activities as per Table 5. Selection Committee shall submit its final recommendtions (In sealed envelope) of selected/ wait listed candidates in order, on the basis of total marks obtained by the candidateds under verious parameters as prescribed in Table-1 to 5. These recommendations shall be put up before BoM for approval.
16. The Selection Committee may be recommended appropriate numbers of candidates in wait list, which will be valid for 6 months from the date of issue of appointment orders of the respective category/ posts.

Hon'ble Members are requested to kindly approve the same.

Resolution26.19 **It was resolved to constitute a committee to examine the proposal in detail and be placed in next BoM meeting/Special BoM meeting.**

BoM 26.20 **To provide the furniture in Govt. Secondary School at village Dhoti and to carry out the other development works in village, adopted by RTU.**

The village Dhoti has been adopted by R.T.U. for development as per direction of Hon'ble Chancellor. During the visit of Village it is felt that there is lack of class room furniture in Govt. Secondary School. So it is proposed to donate 50 Nos. M.S. Table & Chairs to the school, from available stock of University and grant of permission to carry out other development activity as per sanctioned budget provisions & direction of Hon'ble Chancellor's office.

Hon'ble Members are requested to kindly approve the same.

Resolution26.20 **Proposal was approved.**

प्र.म. 26.20 **राजकीय माध्यमिक विद्यालय, ग्राम ढोटी में फर्नीचर उपलब्ध करनवाने हेतु एवं गोद लिये गांव में अन्य विकास कार्य करवाना।**

माननीय कुलाधिपति महोदय के निर्देशानुसार कोटा जिले के गांव ढोटी (तहसील--सांगोद) को रा.त.वि.वि. द्वारा विकास कार्य हेतु गोद लिया गया है। समय–समय पर गांव की विजिट के दौरान गांव के राजकीय माध्यमिक विद्यालय के क्लासरुम फर्नीचर की कमी महसूस की गई है। अतः रा.त.वि.वि. मे उपलब्ध 50 लोहे की टेबल एंव 50 लोहे की कुर्सीयां विद्यालय मे दान मे देना प्रस्तावित है। साथ ही माननीय कुलाधिपति महोदय के कार्यालय से समय–समय पर प्राप्त निर्देशानुसार अन्य विकास कार्यो को भी स्वीकृत बजट के अनुरुप समय–समय पर कराने की स्वीकृति प्रस्तावित है।

अतः प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

संकल्प 26.20 प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया ।

प्र.म. 26.21 **व्याख्याताओं के स्वीकृत पदों के विरूद्ध गैर सेवारत शिक्षकों/फ्रेश अभ्यर्थियों की गेस्ट फेकल्टी के रूप में सेवायें लेने के संबंध में।**

1 विश्वविद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पदों के समक्ष (सेवानिवृत्त/सेवारत शिक्षकों की अनुपलब्धता की स्थिति में) गैर सेवारत फ्रेश अभ्यर्थियों (अभियान्त्रिकी संकाय, प्रबंध संकाय) की सेवायें गेस्ट फेकल्टी (अतिथि संकाय) के रूप में एक मुश्त मानदेय रू. 25000/– प्रतिमाह की दर पर प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के लिए ली जा रही है।

2 शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.1(3)शिक्षा–4/2010 दिनांक 26.03.2014 के अनुसार गैर सेवारत एवं नये अभ्यर्थी की अतिथि प्रवक्ता के रूप में सेवायें लिये जाने को प्रतिबन्ध किया गया है। (अनुलग्नक 26.21 पृष्ठ 247–249)

3 पूर्वोक्त आदेश से 500/– रू. प्रति कालांश अथवा कुल मानदेय राशि रू 25000/– प्रतिमाह की दर पर सेवानिवृत्त प्रवक्ताओं/संस्थानों में सेवारत प्रवक्ताओं की गेस्ट फेकल्टी के रूप में सेवायें लिये जाने की अनुमति प्रदान की गई है।

अतः शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार के सन्दर्भित पत्र दिनांक 26.05.2014 के परिपेक्ष्य में विश्वविद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पदों के समक्ष गैर सेवारत/ फ्रेश अभ्यर्थियों की अतिथि संकाय के रूप में सेवायें लिये जाने के संबंध में प्रकरण प्रबंध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

संकल्प 26.21 **सभी सदस्यों द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया । कुलसचिव एवं वित्त नियंत्रक (विशेष आमंत्रित सदस्य) ने प्रस्ताव को राज्य सरकार को भेजने का सुझाव दिया ।**

प्र.म. 26.22 विश्वविद्यालय में चतुर्थ श्रेणी संवर्ग में विभिन्न पदों पर कार्यरत कार्मिकों को पदौन्नति के समान अवसर प्रदान करने के सम्बन्ध में।

राज्य सरकार के चतुर्थ श्रेणी सेवा नियम के तहत जमादार, दफ्तरी/रिकार्ड लिफ्टर, लेब बॉय, चपरासी, साईकिल सवार, अर्दली, जलधारी, चौकीदार, फर्राश, कार्यालय के कार्य के लिए निम्नतम वेतनमान में स्वीकृत समतुल्य पद एवं प्रयोगशाला सेवक इत्यादि का अंकन किया हुआ है। प्रयोगशाला सेवक को राजस्थान सरकार के आदेश कमांक एफ.4(1)डीओपी/ए–।।/78 दिनांक 16.8.1985 से सम्मिलित किया गया है। (राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा नियम 1963 की अनुसूची। संलग्न) (अनुलग्नक 26.22 पृष्ठ 250–251)

वर्तमान में राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में फेरोमेन, गार्डनर, साईकिल सवार, बेलदार, चपरासी, चौकीदार, बुक लिफ्टर, लाईब्रेरी अटेन्डेन्ट, डुप्लीकेटिंग मशीन ऑप्रेटर, सफाई कर्मचारी, जलधारी, महिला परिचायिका, आदि पदनामों से चतुर्थ श्रेणी संवर्ग में कार्यरत हैं। इन पदों पर कार्यरत कार्मिकों को विभागीय पदौन्नति के तहत क्लर्क ग्रेड–द्वितीय पर नियमानुसार पदौन्नति का लाभ देय है।

प्रयोगशाला अनुचर भी चतुर्थ श्रेणी संवर्ग में कार्यरत है और इन्हें तकनीशियन पद पर विभागीय पदौन्नति का लाभ देय है। परन्तु क्लर्क ग्रेड–द्वितीय की योग्यता होते हुए भी इस पद पर विभागीय पदौन्नति का लाभ देय नहीं है।

इनके अतिरिक्त पम्प बॉय, मेडिकल अटेन्डेन्ट, प्लम्बर कम हेल्पर भी चतुर्थ श्रेणी संवर्ग में कार्यरत है, परन्तु इन्हें किसी भी प्रकार से बिभागीय पदौन्नति का लाभ देय नहीं है।

फलस्वरूप चतुर्थ श्रेणी संवर्ग में कार्यरत उक्त तीनों श्रेणी के कार्मिकों को विभागीय पदौन्नति के समान अवसर उपलब्ध नहीं है।

अतः प्रस्तावित है कि :–

(अ) उक्त सभी पदनामों पर कार्यरत सभी कार्मिकों को चतुर्थ श्रेणी सेवा नियम के तहत चतुर्थ श्रेणी संवर्ग में माना जाना प्रस्तावित है।

(ब) उपरोक्त श्रेणी के कार्मिकों को योग्यता एवं वरिष्ठता के आधार पर क्लर्क ग्रेड–द्वितीय व तकनीशिन के पदों पर विभागीय पदौन्नति के समान अवसर प्रदान किया जाना प्रस्तावित है ।

(स) उपरोक्त संवर्ग में विशेष रूप से लेब अटेन्डेन्ट को वरिष्ठता एवं योग्यता होने के बावजूद भी क्लर्क ग्रेड–द्वितीय पर पदौन्नति का अवसर नहीं मिल पाया है। अतः विश्वविद्यालय के क्लर्क ग्रेड– द्वितीय के वर्तमान में रिक्त पदो के 15 प्रतिशत पदों पर विभागीय पदौन्नति देने का एक विशेष अतिरिक्त अवसर प्रदान करने हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार के अनुमोदनार्थ भेजा जाना प्रस्तावित है।

प्रस्ताव माननीय सदस्यों के विचारार्थ एवं निर्देशार्थ प्रस्तुत है।

संकल्प 26.22 **प्रस्ताव राज्य सरकार को अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जावे ।**

BoM (R) 26.1 **To report action taken under TEQIP-II project**

TEQIP-II is a time bound project and it will end by Oct 2016. The project grant of Rs. 1000 lacs is allocated to three major activities, namely, procurement of goods and civil works (550 lacs), academic activities (350 lacs) and incremental operating cost (100 lacs). Up to 31 May 2016 total cumulative expenditure is 525 lacs which include 359 lacs on procurement, 112 lacs on academic activities, and 54 lacs on IOC. The last date of completing all procurement activities is 30 June 2016. The approving authority for these activities is BOG / Competent authority of the institution. Looking to the urgency following actions have been taken with the approval of Hon'ble Vice Chancellor. (Annexure (R) 26.1.1 page 252-257)

(i) A purchase committee has been constituted to expedite the procurement process so as to meet the time-line. (Annexure (R) 26.1.2 page 258)

(ii) In order to utilize unspent balance of Rs. 191 lacs procurement plan has been prepared and initiated. (Annexure (R) 26.1.3 page 259-273)

(iii) As per guidelines of TEQIP-II project UG and PG students may be permitted to participate within country in industrial tour, technology exhibitions, publication in national / international conferences with reimbursement of registration fee, travelling, boarding and lodging and incidental charges. Eligible proposals may be considered retrospectively w.e.f. 13-05-2014 from the date of receipt of approval from NPIU and reimbursement of expenditure may be allowed at par with the norms approved for students of Centre for Energy and Environment, RTU, Kota. (Annexure (R) 26.1.4 page 274-75)

Hon'ble members are requested to approve the action taken as above.

Resolution(R) 26.1 Hon'ble members perused.

प्र.म. (आर) 26.1टीईक्यूआईपी द्वितीय परियोजना के तहत की गई कार्यवाही रिपोर्ट करने के लिए।

टीईक्यूआईपी द्वितीय समयबद्ध परियोजना है जो अक्टूबर 2016 मे समाप्त होगी। इसमें प्राप्त 1000 लाख रूपयें अनुदान राशि को तीन प्रमुख गतिविधियों के लिए आवंटित किया गया है अर्थात् उपकरण आदि खरीद और सिविल कार्य के लिए 550 लाख रूपये, शैक्षणिक गतिविधियों के लिए 350 लाख रूपयें और वृद्धिशील परिचालन लागत के लिए 100 लाख रूपयें। दिनांक 31 मई 2016 तक कुल व्यय 525 लाख रूपये किया गया है, जिसमें उपकरण खरीद और सिविल कार्य पर 359 लाख रूपये, शैक्षणिक गतिविधियों पर 112 लाख रूपये और वृद्धिशील परिचालन लागत पर 54 लाख रूपयें शामिल है। सभी खरीद गतिविधियों को पूरा करनें की अन्तिम तिथि 30 जून 2016 है। इन गतिविधियों के लिए अनुमोदन का अधिकार बीओजी/संस्था के सक्षम प्राधिकारी मे निहित है। अतः तात्कालिता को देखते हुए माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदन से निम्न कार्यवाही की गई है। (अनुलग्नक (आर) 26.1.1 पृष्ठ 252–257)

1. खरीद प्रकिया मे तेजी लानें एवं समय सीमा मे पूरा करनें के लिए क्रय समिति गठित की गई है। (अनुलग्नक (आर) 26.1.2 पृष्ठ 258)
2. अव्ययित रूपयें 191 लाख का उपयोग करनें के लिए खरीद योजना शुरू की गई है।(अनुलग्नक (आर) 26.1.3 पृष्ठ 259–273)
3. टीईक्यूआईपी द्वितीय परियोजना के दिशा निर्देशों के अनुसार यूजी और पीजी छात्रों को देश में आयोजित औद्योगिक दौरे, प्रौद्योगिकी प्रदर्शनियों, राष्ट्रीय–अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों मे प्रकाशन मे भाग लेनें तथा पंजीकरण शुल्क, यात्रा, आवास, भोजन और प्रासंगिक शुल्क की प्रतिपूर्ति की अनुमति दी जा सकती है। अनुमत व्यय की प्रतिपूर्ति पूर्वव्यापी योग्य प्रस्तावों पर से अनुमोदन प्राप्त होनें की तारीख 13.05.2014 से ऊर्जा और पर्यावरण केन्द्र, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के छात्रों के लिए अनुमोदित मानदंडो के बराबर दिया जाना प्रस्तावित है।(अनुलग्नक (आर) 26.1.4 पृष्ठ 274)

अतः प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

संकल्प (आर)26.1 **प्रस्ताव का माननीय सदस्यों द्वारा अवलोकन किया गया ।**

प्र.म. (आर) 26.2 **मानव संसाधन विकास मंत्रालय की प्रवर्तित राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान कार्य के लिए क्रय समिति के गठन का अवलोकन एवं अनुमोदन हेतु।**

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए क्रय प्रक्रिया को शीघ्र सम्पन्न करने के उददेश्य से एक समिति का गठन माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदन उपरान्त किया गया है। (अनुलग्नक (आर) 26.2 पृष्ठ 275)

गठित समिति का आदेश माननीय सदस्यों के समक्ष अवलोकन हेतु प्रस्तुत है।

संकल्प (आर)26.2 **अवलोकन किया गया ।**

BoM T.26.1 To establish Shodh Peeth in the university.

As directed by Hon'ble His-Excellency and Chancellor vide letter No. F.1(23)RB/2016/3905 dated 16 May, 2016, a Shodh Peeth is to be established in the University to pursue research on a great personality of the country with the aim to disseminate his / her work and contributions to the society. **(Annexure T.26.1 Page 1)**

Rajasthan Technical University being a technical university, it may be appropriate to establish shodh peeth in the name of a great scientist of the country who has contributed significantly in science and technology by his / her research and inventions. A few of them are mentioned below.

Scientist	Invention
C V Raman	The great Indian physicist, Dr Chandrasekhar Venkata Raman will never be forgotten for his research in the field of physics, which turned out to be a momentous contribution to the world. The discovery of Raman Effect earned him the prestigious Bharat Ratna Award, in addition to Nobel Prize in Physics in 1930.
Homi J Bhabha	Homi J Bhabha was instrumental in the scientific progress of the country by setting up institutes like Bhabha Atomic Research Institute and Tata Institute of Fundamental Research. This great physicist was also the first man to hold the position of the Chairman of the Atomic Energy Commission.
M Visvesvaraya	M Visvesvaraya was one of the greatest scientists and engineers of India who has played a key role in the building of Krishnarajasagar Dam and introduced the technology of steel doors to prevent wastage of water in dams. His contribution in the field of architecture of modern India fetched him the Bharat Ratna in 1918.
A P J Abdul Kalam	APJ Abdul Kalam, also known as the Missile Man of India, was a great visionary and scientist who has also served as the President of the country from 2007 to 2011. He has been noted for his contribution in the field of vehicle technology and ballistic missile.
S Ramanujan	Srinivasa Ramanujan is known as the greatest mathematician of the 20th century. His contribution in the field of mathematics and geometry has been immense, with research on elliptic function, continued fractions, infinite series and analytical theory of numbers.

Following modus-operandi is proposed for the shodh peeth.

1. A Chair in the name of scientist / personality is created (as per norms to be decided) which will be occupied by an external eminent academician equivalent to the rank of professor.
2. The shodh peeth shall be run under the administrative control of a university department.
3. Following shall be the main activities of the shodh peeth

a. Organising Seminars, Symposia, Training Programmes, Research & Other Academic programmes.
b. To provide Junior, Senior research fellowships
4. Funding: Shodh Peeth shall be established with the suitable seed money from university resources.
5. A five year plan shall be made and submitted to external agencies like UGC, CSIR, AICTE, DIT etc for funding

Hon'ble members are requested to consider and approve the proposal.

Resolution BoM(T)26.1 **It was resolved to establish Shodh Peeth in the name of Er. M. Visvesvarya as proposed above. Details of modus operandi and guidelines shall be prepared by Dean Research. Budget provision shall be made on the proposal to be prepared by Dean Research.**

प्र.म.टी.26.2 **राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालयों के विभिन्न विभागों में केरियर एड्वान्समेंट स्कीम के अन्तर्गत सहायक प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रोफेसर के पदों पर पदोन्नति के संबंध में चयन समिति की अनुशंसाऐं अनुमोदनर्थ ।**

प्रबंध मण्डल की बैठक के उपरोक्त बिन्दु संख्या 24.7 की अनुपालना में आवश्यक कार्यवाही कर 26वीं बैठक में पालना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है।

प्रबंध मण्डल की बैठक के बिन्दु संख्या 24.7 की अनुपालना में दिनांक 13.7.2015 को आवश्यक आदेश इत्यादि जारी करने के उपरान्त दिनांक 14.8.2015 को संभागीय आयुक्त, कोटा, प्रबंध मण्डल के माननीय सदस्य (प्रमुख शासन सचिव, वित्त के प्रतिनिधि) द्वारा संलग्न पत्रानुसार मुख्यत: दो बिन्दुओं पर अपनी टिप्पणी दर्ज करवाई गई:

1. शिक्षकों को सी.ए.एस. के तहत पदोन्नति के सम्बंध में:

   24वीं प्रबंध मण्डल के बिन्दु संख्या 24.7. की अनुपालना में सी.ए.एस. के तहत लाभान्वित शिक्षकों के तत्संबंधी आदेश दिनांक 13.7.2015 को जारी कर दिये गये थे। जिसमें वह शिक्षक भी सम्मिलित हैं जिसकी दिनांक 1.6.2002 या उसके पश्चात जीवित संतानों की संख्या 2 से अधिक है।

   माननीय सदस्य द्वारा नियमों का हवाला देते हुए ऐसे शिक्षक को सी.ए.एस. का लाभ दिये जाने पर टिप्पणी दर्ज की है।

   इस संबध में यह वर्णित करना उचित होगा कि सी.ए.एस. के तहत पदोन्नति का लाभ किसी स्वीकृत पद पर ना दिया जाकर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार स्वीकृत पदों के अतिरिक्त दिया जाता है तथा उस व्यक्ति का मूल पद वहीं रहता जिस पर उसका चयन निर्धारित प्रक्रिया के तहत हुआ है। मूलत: यह बाध्यता विभागीय पदोन्नति पर लागू किया जाना प्रतीत होता है जबकि सी.ए.एस. के तहत पदोन्नति विभागीय पदोन्नति न होकर व्यक्तिगत पदोन्नति के तहत आती है।

2. प्रयोगशाला अनुचर व मेडिकल अटेण्डेंट की पदोन्नति के सम्बंध में :

   पत्र के बिन्दु संख्या 2 के तहत की गई आपत्ति के बारे में यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त संबंध में किसी प्रकार की कार्यवाही न करते हुए 26वीं प्रबंध मण्डल की बैठक में पृथम से कार्यसूची बिन्दु संख्या 26.22 पर प्रकरण रखा गय है।

प्रकरण माननीय सदस्यों के अवलोकन एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

संकल्प प्र.म.(टी)26.2 सदस्यों द्वारा यह मत प्रकट किया गया कि प्रस्ताव का संदर्भ स्पष्ट किया जावे । माननीय सदस्यों को अवगत करवाया गया कि प्रबंध मंडल की 24वीं बैठक के बिन्दु संख्या 24.7 के संदर्भ में प्रमुख शासन सचिव वित के प्रतिनिधि द्वारा उपरोक्त दो बिन्दुओं पर अपनी टिप्पणी दर्ज करवाई थी जिसे आगामी प्रबंध मंडल में रखा जाना प्रस्तावित किया गया । उक्तानुसार ही यह प्रस्ताव प्रबंध मंडल के सदस्यों के समक्ष रखा गया है ।

प्रस्ताव के बिन्दु संख्या 1 के क्रम में यह अनुमोदन किया गया कि प्रस्ताव को राज्य सरकार की अनुमति के लिए भेजा जावे । बिन्दु क्रमांक 2 का अवलोकन किया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक का समापन किया गया ।

(प्रो.एन.पी.कौशिक)
कुलपति एवं अध्यक्ष

(जगदीश कुमार पुरोहित)
कुलसचिव एवं सदस्य सचिव